लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 13 अगस्त, 2007

में विचारणीय विषयों की

कार्यसूची

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में विचारणीय विषयों की कार्य–सूची

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।	10
3.	प्राधिकरण के अभियन्ताओं व अन्य अधिकारि़या/कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में परिचालित प्रस्ताव की पुष्टि।	20
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न कियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं इस हेतु "टर्न की बेसिस" पर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में ।	23.
5.	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।	30.
6.	राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी०एच० कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन व भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में	38.
7.	श्री रामपाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक के पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिंह की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित।	41.
8.	हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग काम्पलेक्स का निर्माण।	42.

9.	गोमती नगर विस्तार योजना के विद्युतीकरण हेतु पुनरीक्षित बजट के सम्बन्ध में ।	51.
10.	लखनऊ की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी आदि के लिए कन्सल्टेन्ट आबद्ध करने के सम्बन्ध में	56.
11.	जानकीपुरम विस्तार योजनान्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित २३ पट्टेदारों की भूमि का समायोजन कर आवंटित भूमि के बदले आवासीय भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	60.
12.	शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्राधिकरण की अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यो का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के अनुसार विभागीय पद्धित पर कराने के सम्बन्ध में ।	62.
13.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय	

विषय संख्या : 1 पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक **23** फरवरी, **2007** के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री राकेश कुमार मित्तल	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री बी0बी0सिंह	सचिव, उ0प्र0शासन, आवास एवं शहरी नियोजन/उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री एस.पी.मिश्र	विशेष सचिव, उ.प्र.शासन, आवास एवं शहरी नियोजन।
4.	श्री रमेन्द्र त्रिपाठी	जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, लखनऊ। 2287080(का0) ~~2716365~~
6.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग। 2623914
7.	श्री एन.आर.वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश । 2626073 2221328 9839680631
8.	श्री पी.के.जैन	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ। 2626714

9.	श्री सरफ़राज़ अहमद	मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
10.	श्री एल.एस.पी.सिंह	पर्यटन अधिकारी, प्रतिनिधि महानिदेशक, पर्यटन । 2308993
11.	श्री तुलसीराम चौरसिया	सदस्य, ल.वि.प्रा.।
12.	श्री नानकदीन भुर्जी	सदस्य, ल.वि.प्रा.।
13.	डा. फिदा हुसैन अन्सारी	सदस्य, ल.वि.प्रा.।

अन्य उपस्थिति:

14.	डा0 राम बिलास यादव	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
15.	श्री सी0पी0शर्मा	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
16.	डा0 मोहन यादव	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
17.	श्री दवनराम यादव	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। जोन

संख्या: 3 के जोनल प्लान से सम्बन्धित प्रस्ताव:6 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 की धारा-11 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करने के पूर्व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को दिखा कर उनकी राय को भी जोनल प्लान में समायोजित कर दिया जाये क्योंकि दिनांक 18.12.2006 की बैठक में वे उपस्थित नहीं थे।

विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय:	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
विषय संख्या : 3	लखनऊ विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2006-07 का पुनरीक्षित एवं 2007-2008 के आय-व्ययक पर विचार।
निर्णय :	वित्तीय वर्ष 2006-2007 का पुनरीक्षित बजट इस शर्त के साथ पारित किया गया कि पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत नव निर्माण कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव रू0 1287.00 लाख के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लिया जाये। वित्तीय वर्ष 2006-2007 के जनवरी-07 तक का वास्तविक तथा वर्ष 2007-2008 का मूल आय-व्ययक सचिव द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक द्वारा आय-व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2006-2007 में प्राधिकरण व्दारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों

पर उपस्थित सदस्यों व्दारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार-विमर्श के उपरान्त सर्व-सम्मति से वर्ष 2006-2007 के माह जनवरी, 2007 तक का वास्तविक तथा वर्ष 2007-2008 का मूल आय-व्ययक अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 4

लखनऊ महायोजना 2021 की जोन-22 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ महायोजना-2021 के जोन-22 का जोनल प्लान मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा प्रस्तुत किया गया एवं निर्णय लिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक व्दारा उक्त जोनल प्लान का परीक्षण किया जायेगा एवं परीक्षणोपरान्त यदि कोई संशोधन हों, तो उसे सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाये।

विषय संख्या : 5

श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणवीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज व्दारा भूखण्ड संख्या : ई-940, सेक्टर ए, महानगर, लखनऊ का भू-उपयोग महायोजना 2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में दायर याचिका संख्या : 6553(एमबी)/2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श एवं श्री बजाज को सुनने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू-उपयोग महायोजना-2001 में व्यवसायिक था एवं महायोजना 2021 में आवासीय हो गया है। यह सम्पूर्ण मार्ग व्यवसायिक किया-कलापों से

आच्छादित है। अतः प्राधिकरण व्दारा निम्नांकित बिन्दुओं पर परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2006 के कम में अन्तरिम जवाब मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।

1. करामत मार्केट से गोल मार्केट चौराहे तक सभी भवनों का सर्वेक्षण करा लिया जाये जिसमें यह इंगित किया जाये कि किन-किन भूखण्डों पर आवासीय क्रिया-कलाप हो रहे हैं एवं किन-किन भूखण्डों पर व्यवसायिक क्रिया-कलाप हैं।
2. प्राधिकरण के अभिलेखों से यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र में कितने भूखण्डों पर भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं।
3. सड़क की कुल चौड़ाई, रेलवे ओवर ब्रिज की चौड़ाई एवं आर.ओ.बी. के दोनों ओर मार्ग की चाड़ाई को मानचित्र पर स्पष्ट दर्शा दिया जाये।

विषय संख्या : 6 — शाहनजफ़ रोड, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या : 2 को बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — शाहनजफ रोड स्थित भूखण्ड संख्याः 2 को बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत घोषित किये जाने के लिए यह देखा जाये कि आस-पास के भूखण्डों पर महायोजना-2021 में बाजार स्ट्रीट किन परिस्थितियों में प्रस्तावित की गई है एवं इस भूखण्ड को बाजार स्ट्रीट क्यों नहीं दर्शाया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि स्थल की स्थिति के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड को बाजार स्ट्रीट में परिवर्तित किया जा सकता हो तो भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी होगी एवं उस दशा में परिवर्तन शुल्क की देयता भी बनेगी। निम्न परीक्षण

के उपरान्त आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये :-

1 सम्पूर्ण शाहनजफ रोड पर स्थित ऐसे भूखण्ड जिन्हें बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत घोषित नहीं किया गया, उनके सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर उनके भू-उपयोगों को चिन्हित कर लिया जाये।

2 प्राधिकरण के अभिलेखों से यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र में कितने भूखण्डों पर भवनों के मानचित्र स्वीकृत है।

3 तदानुसार सम्पूर्ण अवशेष भूखण्डों पर परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 7	आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. व्दारा पारित आदेश संख्या : 58/उपा.का./1997-98, दिनांक 31 मार्च,1998 का अनुमोदन।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।
विषय संख्या : 8	भूखण्ड संख्या : 5 ला-प्लास पर प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयॉं दिये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।
विषय संख्या : 9	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि. को आवन्टित भूखण्ड संख्या: टी.सी.-58 वी एवं 59 वी के जमा लेवी/अनिर्माण शुल्क रु. 16.35 लाख की माफी से सम्बन्धित।
निर्णय :	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को सन्दर्भित कर दी जाये।

विषय संख्या : 10	नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज को विराज खण्ड के तखवा ग्राम में रिक्त 4.80 एकड़ भूमि पर लगे दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक बार समाधान (ओ.टी.एस.) पध्दति के अन्तर्गत गणना करा कर पुनः प्रस्तुत किया जाये।
विषय संख्या : 11	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सेमरागौढ़ी मोहिबुल्लापुर, खलीलाबाद, सिकन्दरपुर इनायत अली व आकिलपुर की अर्जित भूमि का समझौता के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि किसानों को भुगतान की जाने वाली धनराशि में दिनांक 31.3.2007 तक ब्याज सम्मिलित किया जाय एवं इस धनराशि का भुगतान हितबध्द व्यक्तियों को 30 सितम्बर, 2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि ब्याज की अतिरिक्त देयता पर विराम लग सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि चुनाव आयोग की अनुमति के उपरान्त ही लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
विषय संख्या : 12	कानपुर रोड योजना भाग-4 के अन्तर्गत शारदानगर योजना के रवि खण्ड के निकट लगभग 15 बीघा भूमि ''जहाँ है जैसे है'' के आधार पर विकास हेतु लाइसेन्स पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एंण्ड इन्डस्ट्रीज़ लि. को दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देशों सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई :-

1. प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली धनराशि का एक मुश्त आकलन, वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा. द्वारा कर लिया जाये ताकि भविष्य में धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न न हो।
2. बिल्डर से प्राप्त होने वाली धनराशि की समय सारणी तैयार करा ली जाये।
3. मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या : 1422/87 को विलम्बतम तीन माह के अन्दर वापस कराये जाने के उपरान्त ही बिल्डर से कोई लाइसेन्स अनुबन्ध आदि निष्पादित कराया जाये साथ ही प्राधिकरण बोर्ड द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.10.2002 में निर्धारित शर्तो का भी समावेश कर लिया जाये।

विषय संख्या : 13

भूखण्ड संख्या-1/238, विभव खण्ड, गोमती नगर योजना के सेट बैक में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए साइड सेट बैक 3.00 मीटर के स्थान पर 1.5 मीटर करने की अनुमति प्रदान की गयी।

विषय संख्या : 14

श्री वीरेन्द्र यादव, प्रभारी/लेखा लिपिक (प्रतिनियुक्ति) को ल.वि.प्रा. में प्रधान लिपिक/अनु. अधि. के रिक्त पद् पर संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।

विषय संख्या : 15	सहारा इन्डिया हा.लि.को नगर निगम,लखनऊ तथा ल.वि.प्रा. व्दारा उपलब्ध कराई गई भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन मा0 मुख्यमन्त्री जी व्दारा पारित ध्वस्तीकरण एवं कब्जा वापस लेने सम्बन्धी आदेश को ''रि–काल'' करने के सम्बन्ध में शासन व्दारा जारी आदेश दिनांक 12 फरवरी,2007 के कम में तलपट मानचित्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया। पूर्व में अनापत्ति/अधिकार दिये जा चुके हैं। तदनुसार कार्यवाही की जाये।

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(डा0 राम बिलास यादव)
सचिव

(बी0बी0 सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

27.2.07

(आर0के0 मित्तल)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

विषय संख्या : 2 पृष्ठ संख्या : 10

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

विषय क्रमांक	विषय	लिया गया निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। जोन संख्या: 3 के जोनल प्लान से सम्बन्धित प्रस्ताव:6 के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम –1973 की धारा–11 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रेषित करने के पूर्व मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को दिखा कर उनकी राय को भी जोनल प्लान में समायोजित कर दिया जाये क्योंकि दिनांक 18.12.2006 की बैठक में वे उपस्थित नहीं थे।	नोट किया गया। जोन–3 के जोनल प्लान के सम्बन्ध में कार्यवृत्त की पुष्टि के समय दिये गये निर्देशों के क्रम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को पत्र संख्या : 1260 / सीटीपी / 2007 दिनांक 03.03.2007 व्दारा प्रेषित किया जा चुका है जिसका अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।	नोट किया गया।

3	लखनऊ विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2006–07 का पुनरीक्षित एवं 2007–2008 के आय–व्ययक पर विचार।	वित्तीय वर्ष 2006–2007 का पुनरीक्षित बजट इस शर्त के साथ पारित किया गया कि पूँजीगत व्यय के अन्तर्गत नव निर्माण कार्यो हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव रु0 1287.00 लाख के प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर लिया जाये। वित्तीय वर्ष 2006–2007 के जनवरी–07 तक का वास्तविक तथा वर्ष 2007–2008 का मूल आय–व्ययक सचिव व्दारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्त नियन्त्रक व्दारा आय–व्ययक के विभिन्न मदों में किये गये प्राविधानों तथा उपलब्धियों का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2006–2007 में प्राधिकरण व्दारा अर्जित आय में की गई उपलब्धियों पर उपस्थित सदस्यों व्दारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। विचार–विमर्श के उपरान्त सर्व–सम्मति से वर्ष 2006–2007 के माह जनवरी, 2007 तक का वास्तविक तथा वर्ष 2007–2008 का मूल आय–व्ययक अनुमोदित किया गया।	बोर्ड व्दारा लिये गये निर्णय का अनुपालन किया जा रहा है। बैठक में वर्ष 2006–2007 के पुनरीक्षित बजट में निर्माण कार्यो पर रु0 1287.00 लाख के व्यय प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने हेतु निर्णय लिया गया था। उक्त व्यय प्रस्ताव पर मुख्य अभियन्ता व्दारा निर्माण कार्यो के बजट प्रस्ताव रु.1287 लाख पर पुनर्विचार कर रु0 990.00 लाख का संशोधित पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजा गया था। तद्‌क्रम में वर्ष 2006–07 में पुनरीक्षित बजट में निर्माण कार्यो हेतु रु0 1287.00लाख के स्थान पर रु0 990.00 लाख का पुनरीक्षित प्रस्ताव किये जाने की अनुमति उपाध्यक्ष व्दारा प्रदान कर दी गई है। छाया–प्रति पृष्ठ 18 एवं 19 पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

4	लखनऊ महायोजना 2021 के जोन–22 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ महायोजना–2021 के जोन–22 का जोनल प्लान मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण व्दारा प्रस्तुत किया गया एवं निर्णय लिया गया कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक व्दारा उक्त जोनल प्लान का परीक्षण किया जायेगा एवं परीक्षणोपरान्त यदि कोई संशोधन हों, तो उसे सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव शासन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया जाये।	बोर्ड व्दारा लिये गये निर्णय के कम में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व्दारा दिनांक 13.03.2007 को दिये गये सुझाव/आपत्तियों के अनुसार कनसलटेन्ट को दिनांक 02.06.2007 को जोनल प्लान में तद्नुसार संशोधन हेतु प्रेषित किया गया है।
5	श्रीमती ऊषा बजाज पत्नी श्री रणवीर बजाज एवं श्रीमती सुनील बजाज पत्नी श्री प्रदीप बजाज व्दारा भूखण्ड़ संख्या : ई–940, सेक्टर ए, महानगर, लखनऊ का भू–उपयोग महायोजना 2021 में आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ में दायर याचिका संख्या : 6553(एमबी)/2006 पर पारित आदेश के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श एवं श्री बजाज को सुनने के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का भू–उपयोग महायोजना–2001 में व्यवसायिक था एवं महायोजना 2021 में आवासीय हो गया है। यह सम्पूर्ण मार्ग व्यवसायिक किया–कलापों से आच्छादित है। अतः प्राधिकरण व्दारा निम्नांकित बिन्दुओं पर परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2006 के कम में अन्तरिम जवाब मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया जाये।	प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जा रहा है।

		1. करामत मार्केट से गोल मार्केट चौराहे तक सभी भवनों का सर्वेक्षण करा लिया जाये जिसमें यह इंगित किया जाये कि किन–किन भूखण्डों पर आवासीय क्रिया–कलाप हो रहे हैं एवं किन–किन भूखण्डों पर व्यवसायिक किया–कलाप हैं। 2. प्राधिकरण के अभिलेखों से यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र में कितने भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं। 3. सड़क की कुल चौड़ाई, रेलवे ओवर ब्रिज की चौड़ाई एवं आर.ओ.बी. के दोनों ओर मार्ग की चाड़ाई को मानचित्र पर स्पष्ट दर्शा दिया जाये।	
6	शाहनजफ़ रोड, लखनऊ स्थित भूखण्ड संख्या : 2 को बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	शाहनजफ रोड स्थित भूखण्ड संख्या: 2 को बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत घोषित किये जाने के लिये यह देखा जाये कि आस–पास के भूखण्डों पर महायोजना–2021 में बाजार स्ट्रीट किन परिस्थितियों में प्रस्तावित की गई है एवं इस भूखण्ड को बाजार स्ट्रीट क्यों नहीं दर्शाया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि स्थल की	निर्णयानुसार सर्वेक्षण एवं प्रस्ताव के पुनर्परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

		स्थिति के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड को बाजार स्ट्रीट में परिवर्तित किया जा सकता हो तो भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी होगी एवं उस दशा में परिवर्तन शुल्क की देयता भी बनेगी। निम्न परीक्षण के उपरान्त आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। 1. सम्पूर्ण शाहनजफ रोड पर स्थित ऐसे भूखण्ड जिन्हे बाजार स्ट्रीट के अन्तर्गत घोषित नहीं किया गया, उनके सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर उनके भू–उपयोगों को चिन्हित कर लिया जाये। 2. प्राधिकरण के अभिलेखों से यह भी सुनिश्चित करा लिया जाये कि प्रश्नगत क्षेत्र में कितने भूखण्डों पर भवनों के मानचित्र स्वीकृत हैं। 3. तदानुसार सम्पूर्ण अवशेष भूखण्डों पर परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।	

7	आडिट आपत्ति निस्तारण हेतु उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. व्दारा पारित आदेश संख्या : 58/उपा.का./1997–98, दिनांक 31 मार्च,1998 का अनुमोदन।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।	लिये गये निर्णय की प्रति संलग्न करते हुए आडिट आपत्ति के निस्तारण हेतु पत्र भेजा गया।
8	भूखण्ड संख्या : 5 ला–प्लास पर प्रभार रहित व प्रभार सहित इकाइयॉ दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त निरस्त किया गया।	निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि. को आवन्टित भूखण्ड संख्याः टी.सी.–58 वी एवं 59 वी के जमा लेवी/अनिर्माण शुल्क रु. 16.35 लाख की माफी से सम्बन्धित।	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की संस्तुति शासन को सन्दर्भित कर दी जाये।	निर्णयानुसार प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।
10	नेशनल होम्योपैथिक मेडिक़ल कालेज को विराज खण्ड के तखवा ग्राम में रिक्त 4.80 एकड़ भूमि पर लगे दण्ड ब्याज को माफ़ किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि एक बार समाधान (ओ.टी.एस.) पध्दति के अन्तर्गत गणना करा कर पुनः प्रस्तुत किया जाये।	निर्णयानुसार ओ.टी.एस. गणना कराकर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण किया जा रहा है।
11	सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत ग्राम सेमरागौढ़ी मोहिबुल्लापुर, खलीलाबाद,	विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि किसानों को भुगतान की जाने वाली धनराशि में दिनांक 31.3.2007 तक	निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

	सिकन्दरपुर इनायत अली व आकिलपुर की अर्जित भूमि का समझौता के आधार पर प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।	ब्याज सम्मिलित किया जाय एवं इस धनराशि का भुगतान हितबध्द व्यक्तियों को 30 सितम्बर, 2007 तक सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि ब्याज की अतिरिक्त देयता पर विराम लग सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि चुनाव आयोग की अनुमति के उपरान्त ही लिये गये निर्णय का कियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।	
12	कानपुर रोड योजना भाग–4 के अन्तर्गत शारदानगर योजना के रवि खण्ड के निकट लगभग 15 बीघा भूमि ''जहाँ है जैसे है'' के आधार पर विकास हेतु लाइसेन्स पर मेसर्स एल्डिको हाउसिंग एंण्ड इन्डस्ट्रीज़ लि. को दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देशों सहित सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई :– 1. प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली धनराशि का एक मुश्त आकलन, वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा. व्दारा कर लिया जाये ताकि भविष्य में धनराशि के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न न हो। 2. बिल्डर से प्राप्त होने वाली धनराशि की समय सारणी तैयार करा ली जाये। 3. मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या : 1422/87 को विलम्बतम तीन माह के अन्दर वापस कराये जाने के उपरान्त ही बिल्डर से कोई लाइसेन्स अनुबन्ध आदि निष्पादित	निर्णयानुसार मा. उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या : 1422/87 को विलम्बतम तीन माह के अन्दर वापस लिये जाने के पश्चात् ही बिल्डर से निष्पादित अनुबन्ध आदि कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त रिट–याचिका पक्ष व्दारा वापस नहीं ली गई है।

		कराया जाये साथ ही प्राधिकरण बोर्ड व्दारा गठित समिति की बैठक दिनांक 21.10.2002 में निर्धारित शर्तो का भी समावेश किया जाये।	
13	भूखण्ड संख्या : 1/238, विभव खण्ड, गोमती नगर योजना के सेट बैक में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए साइड सेट बैक 3.00 मीटर के स्थान पर 1.5 मीटर करने की अनुमति प्रदान की गयी।	निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई। निर्णय के क्रम में प्रस्तावित भवन मानचित्र स्वीकृत कर पक्ष को उपलब्ध करा दिया गया है।
14	श्री वीरेन्द्र यादव, प्रभारी/लेखा लिपिक (प्रतिनियुक्ति) को ल.वि.प्रा. में प्रधान लिपिक/अनु.अधि. के रिक्त पद पर संविलियन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव निरस्त किया गया।	नोट किया गया।
15	सहारा इन्डिया हा.लि.को नगर निगम लखनऊ तथा ल.वि.प्रा. व्दारा उपलब्ध कराई गई भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन मा.मुख्यमन्त्री जी व्दारा पारित ध्वस्तीकरण एवं कब्जा वापस लेने सम्बन्धी आदेश को "रि-काल" करने के सम्बन्ध में शासन व्दारा जारी आदेश दिनांक 12 फरवरी,2007 के कम में तलपट मानचित्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया। पूर्व में अनापत्ति/अधिकार दिये जा चुके हैं। तदनुसार कार्यवाही की जाये।	नोट किया गया।

वर्ष 2006-07 में निर्माण कार्यों पर व्यय प्रस्ताव
(पुनरीक्षित बजट)-द्वितीय

छह-ख

(लाख ...

कोड सं0	क्र0सं0	योजना का नाम	विभिन्न श्रेणी के प्लॉट 73070			दुर्बल आय वर्ग 73050			आश्रयहीन भवन 73080			व्यवसायिक भवन 73060			सामुदायिक केन्द्र 73160			योग		
	1	2	3			4			5			6			7			8		
			पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव	पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव	पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव	पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव	पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव	पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव
S-1002	1	जानकीपुरम् विस्तार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.00	—	—	20.00	0.00	0.00
S-1017	2	हरदोई रोड योजना	—	—	—	20.00	—	—	70.00	46.53	60.00	—	—	—	—	—	—	90.00	46.53	60.00
G-1028	3	सीतापुर रोड योजना	2.00	—	—	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.11	—	12.00	45.11	0.00
S-1003	4	प्रियदर्शिनी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.00	11.26	—	10.00	11.26	0.00
A-1020	5	अवध अपार्टमेन्ट	25.00	8.94	15.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.00	8.94	15.00
M-1001	6	मानसरोवर	100.00	8.41	20.00	—	—	—	—	—	—	50.00	—	—	25.00	4.20	5.00	175.00	12.61	25.00
G-1001	7	नेहरू इन्क्लेव	30.00	26.81	30.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.00	26.81	30.00
G-1016	8	विनीत खण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.00	—	10.00	10.00	0.00	10.00
S-1016	9	विराट खण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.00	—	5.00	20.00	0.00	5.00
K-1017	10	कानपुर रोड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	250.00	243.04	300.00	300.00	193.22	250.00	550.00	436.26	550.00
G-1029	11	घसियारी मण्डी	10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.00	0.00	0.00
G-1030	12	पारा	—	—	—	5.00	—	—	—	0.88	1.00	—	—	—	—	—	—	5.00	0.88	1.00
G-1016	13	शारदा नगर	—	—	—	20.00	—	5.00	—	—	—	—	—	—	25.00	—	5.00	45.00	0.00	10.00
		योग	167.00	44.16	65.00	55.00	0.00	5.00	70.00	47.41	61.00	300.00	243.04	300.00	410.00	253.79	275.00	1002.00	588.40	706.00

N 15/3/07
अधि०अ०CE

15.03.2007

कोड सं0	क्र0	विवरण	पुनरीक्षित प्रस्ताव	वास्तविक व्यय	संशोधित प्रस्ताव
			1002.00	588.40	706.00
1	2	3			
73250	1	प्राधिकरण भवन निर्माण	100.00	155.05	170.00
73253	2	प्राधिकरण भवन विद्युतीकरण	25.00	—	5.00
73260	3	प्राधिकरण स्टेडियम, अलीगंज/विनय खण्ड	10.00	—	—
73280	4	हरदोई रोड योजना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट/पम्पिंग स्टेशन	10.00	—	—
73300	5	जानकीपुरम विस्तार, पम्प हाउस	5.00	—	—
73310	6	अमृतलाल नागर, सभागार	5.00	0.93	4.00
73330	7	प्रियदर्शिनी सेक्टर-सी में सीवेज पम्पिंग स्टेशन	20.00	—	—
73340	8	वजीर हसन योजना के भवन	5.00	—	—
73160	9	गोमती नगर विपुल खण्ड में पुस्तकालय भवन का निर्माण	55.00	13.57	55.00
	10	गोमती नगर योजना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट/पम्पिंग स्टेशन	50.00	—	50.00
		योग	1287.00	757.95	990.00

12

विषय : प्राधिकरण के अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए अभियन्त्रण जोन के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता; अधिशासी अभियन्ताओं हेतु एक प्रभावशाली नेटवर्किंग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप अवगत है कि प्राधिकरण में जोनल प्रणाली लागू की गयी है जिसके अंतर्गत अधिशासी अभियन्ताओं को एक क्षेत्र विशेष जोन के समस्त निर्माण-विकास कार्य, भवन मानचित्र स्वीकृत करने का कार्य, अनाधिकृत एवं अतिक्रमण हटाये जाने के कार्य सौपे गये है। समाचार -पत्रों में अधिशासी अभियन्ताओं के मोबाइल नम्बर भी प्रकाशित कराये गये है जिससे प्राधिकरण के उपभोक्ताओं से सीधे इनसे वार्ता कर अथवा मैसेज द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करायें ताकि उन समस्याओं का त्वरित गति से निदान कराया जा सके। अभियन्त्रण विभाग के अभियन्ता त्वरित गति से विगत दिनों में आवंटियों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान कर रहे है।

इस कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाये जाने की दृष्टि से सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को भी इस सुविधा से जोड़ा जाना आवश्यक है। इन्हें विभागीय सिमकार्ड दिया जाना, त्वरित जन सेवा एवं जन समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों, निजी सचिवों, हाटमिक्स प्लान्ट के चालकों व विशेष सेवाओं से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारियों को भी इस सुविधा से जोड़े जाने हेतु कुल 300 कनेक्शन की आवश्यकता होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात काफी समय से दी जा रही है।

अतः प्राधिकरण के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों हेतु रु0 1000.00 प्रतिमाह, सहायक अभियन्ताओं एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु रु0 750.00 प्रतिमाह एवं अवर अभियन्ता एवं अन्य हेतु रु0 500.00 प्रतिमाह जिसमें कर सम्मिलित नही है को कारपोरेट कनेक्शन हेतु सिमकार्ड उपलब्ध कराये जाने की सुविधा दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए अभियन्त्रण जोन के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ताओं हेतु एक 'प्रभावशाली नेटवर्किंग' की आवश्यकता महसूस की जा रही है। आप अवगत है कि प्राधिकरण में जोनल प्रणाली लागू की गयी है जिसके अंतर्गत अधिशासी अभियन्ताओं को एक क्षेत्र विशेष जोन के समस्त निर्माण-विकास कार्य, भवन मानचित्र स्वीकृत करने का कार्य, अनाधिकृत एवं अतिक्रमण हटाये जाने के कार्य सौंपे गये है। समाचार पत्रों में अधिशासी अभियन्ताओं के मोबाइल नम्बर भी प्रकाशित कराये गये है जिससे प्राधिकरण के उपभोक्ताओं से सीधे इनसे वार्ता कर अथवा मैसेज द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करायें ताकि उन समस्याओं का त्वरित गति से निदान कराया जा सके। अभियन्त्रण विभाग के अभियन्ता त्वरित गति से विगत दिनों में आवंटियों की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान कर रहे है।

इस कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाये जाने की दृष्टि से सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं को भी इस सुविधा से जोड़ा जाना आवश्यक है। इन्हें विभागीय सिमकार्ड दिया जाना, त्वरित जन सेवा एवं जन समस्याओं के निदान हेतु आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों, निजी सचिवों, हाटमिक्स प्लान्ट के चालकों व विशेष सेवाओं से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारियों को भी इस सुविधा से जोड़े जाने हेतु कुल 300 कनेक्शन की आवश्यकता होगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में यह सुविधा प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात काफी समय से दी जा रही है।

अत: प्राधिकरण के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों हेतु रु0 1000.00 प्रतिमाह, सहायक अभियन्ताओं एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु रु0 750.00 प्रतिमाह एवं अवर अभियन्ता एवं अन्य हेतु रु0 500.00 प्रतिमाह जिसमें कर सम्मिलित नही है को कारपोरेट कनेक्शन हेतु सिमकार्ड उपलब्ध कराये जाने की सुविधा दिये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है। चूंकि प्राधिकरण की बैठक अभी प्रस्तावित नही है। अत: कृपया प्रस्ताव जनहित में परिचालन के माध्यम से स्वीकृति कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

(भूपेन्द्र सिंह) 6/10/07
सचिव

उपाध्यक्ष/अध्यक्ष

6/11/07

भूपेन्द्र सिंह
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।
6, जे. सी. बोस मार्ग, लखनऊ।
फोन : 2302576, 2621425

अर्द्ध.शा.प.सं. :   /सचिव, वि.प्रा.

दिनांक :

आदरणीय महोदय

जन सुविधा के कार्यो को शीघ्रतापूर्वक निदान करने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति से सम्बन्धित एक. प्रस्ताव तैयार किया गया है। चूंकि प्राधिकरण की बैठक अभी प्रस्तावित नही है, अस्तु संलग्न प्रस्ताव पर कृपया परिचालन के माध्यम से सहमति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक - प्रस्ताव ।

भवदीय,

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

<u>संलग्न प्रस्ताव से सहमत</u>

1. आयुक्त / अध्यक्ष ....
2. उपाध्यक्ष ....
3. प्रमुख सचिव, आवास ....
4. जिलाधिकारी ....
5. नगर आयुक्त ....
6. सी0टी0सी0पी0 ....

<u>विषय:</u> लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न कियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं इस हेतु 'टर्न की बेसिस' पर साफ्टवेयर एवं हार्डवियर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।

<u>आख्या</u>

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्रिया-कलापों का कम्प्यूटराइजेशन करने के उद्देश्य से वर्ष, 1995 में सी0एम0सी0 लि0 द्वारा विभिन्न माड्यूल में साफ्टवेयर विकसित किया गया था। सी0एम0सी0 द्वारा विकसित सिस्ट्म के अन्तर्गत अभियन्त्रण, नियोजन, सम्पत्ति निस्तारण, भवन एवं प्रवर्तन, अधिष्ठान, नजूल, अर्जन, लेखा एवं वित्त, रेन्ट आदि सभी विभागों के क्रिया-कलापों को कम्प्यूटराइज करने एवं उन्हें आपस में इन्ट्रीग्रेट किया जाना प्रस्तावित था। सी0एम0सी0 द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु सिस्ट्म विकसित करने के उपरान्त उनकी टेस्टिंग की गयी थी, परन्तु इम्पलीमेन्टेशन पूरी तरह से सभी विभागों में नही हो सकां। कालान्तर में कुछ विभागों, जैसे सम्पत्ति, अधिष्ठान, अर्जन, नियोजन स्टोर आदि द्वारा अलग-अलग सिस्टम लागू किया गया। कुछ वर्ष पूर्व लेखा एवं वित्त विभाग द्वारा अलग से साफ्टवेयर विकसित कराकर अपने कार्यो को कम्प्यूटरीकृत किया गया। इस प्रकार वर्तमान समय तक जिन विभागों द्वारा अपने कार्य-कलापों को कम्प्यूटराइज किया गया है वे एक 'आई लैंड' **के रूप में अलग-अलग कम्प्यूटर के** माध्यम से कार्य कर रहे है। **परन्तु अभी तक किसी विभाग के क्रिया-कलाप आपस में इण्टीग्रेट नहीं हुए हैं।** जिससे विभागों द्वारा आपस में सूचनाओं की शेयरिंग नही है। अभियन्त्रण विभाग, **नजूल एवं ट्रस्ट, रेन्ट,** बल्क सेल विभागों में अभी तक कोई भी सिस्टम लागू नही हुआ है।

2. वर्ष 1995 में सी0एम0सी0 लि0 द्वारा सिस्टम विकसित करने के उपरान्त साफ्टवेयर एवं हार्डवियर के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है एवं एक प्रकार से पूर्व में विकसित किया गया सिस्ट्म वर्तमान में Obsolete हो गया है।

3. प्राधिकरण में आंशिक रूप से लागू सिस्टम का एक अनौपचारिक अध्ययन टी0सी0एस0 से कराया गया है। इसे पूरी तरह से लागू न कर पाने के जो कारण प्रत्यक्ष हुए हैं वे निम्नानुसार है:-

1. सी0एम0सी0 द्वारा विकसित सिस्टम में लोगों का विश्वास न होना। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि इण्टीग्रेटेड सिस्टम होने के बाद भी लेखा विभाग द्वारा इसका प्रयोग नही किया गया और 'स्टैण्ड एलोन मोड' में लेखा विभाग से सम्बन्धित कार्य किया जा रहा है। ''सी0एम0सी0 द्वारा विकसित साफ्टवेयर में जो सिक्योरिटी सिस्ट्म विकसित किया गया था, आज के परिपेक्ष में मार्डन टेक्नालॉजी को यूज करते हुए और भी सुदृड़ किया जा सकता है''
2. तत्कालीन सिस्टम में 'यूजर इण्टरफेजेज' उस समय की प्रचलित टेक्नालॉजी क्लाइण्ट सर्वर पर आधारित है जिसे वेब अनेबिल्ड करते हुए और भी यूजर फ्रेन्डली बनाया जा सकता है।
3. यह सिस्टम केवल ॲंगेजी में है, वर्तमान में यूनीकोड वर्ष, 2000 में उपलब्ध हो गया है जिससे हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सूचनाओं का संकलन सम्भव है।
4. विभागों में निरन्तर ट्रेनिंग की व्यवस्था का न होना तथा आई0टी0 सिस्टम का प्राधिकरण कार्यालय समय के बाद अथवा बाहर से कार्यालय कार्य करने की सुविधा उपलब्ध न होना।

4. वर्तमान मे प्राधिकरण के क्रिया-कलाप वर्ष 1995 की तुलना में कई गुना बढ़ गये है। सूचना का अधिकार अधिनियम आ जाने के उपरान्त जन सामान्य एवं लाभार्थी अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुआ है। इन परिस्थियों में विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता बढ़ाने तथा जन सामान्य को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य विभागों द्वारा नई-नई तकनीक अंगीकृत की जा रही है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि प्राधिकरण द्वारा भी नवीनतम उपलब्ध तकनीक के आधार पर अपने विभिन्नक्रिया-कलापों का कम्प्यूटराइजेशन करने के उपरान्त उन्हे आपस में इन्टीग्रेट करने हेतु साफ्टवेयर विकसित कराया जाये एवं आवश्यकतानुसार हार्डवियर की व्यवस्था करायी जाये। विकसित सिस्टम इस प्रकार

होना चाहिए जिसके अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों द्वारा आपस में 'आन-लाइन' सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके, अन्तर्विभागीय सूचनाओं का 'फ्लो' आसान हो तथा विभिन्न कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियों/कार्यो की 'आन लाइन ट्रैकिंग' की जा सके।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि आवास बन्धु उ0प्र0 द्वारा विभिन्न विकास प्राधिकरणों/आवास एवं विकास परिषद के लिए विरला साफ्ट से 'इंट्रीग्रेटेड साफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज' विकसित करने हेतु लगभग तीन वर्ष पूर्व अनुबन्ध किया गया था, परन्तु अभी तक विरला साफ्ट द्वारा उपरोक्त सिस्टम इमप्लीमेन्ट नही किया जा सका है। इसे दृष्टिगत रखे हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किसी ख्याति प्राप्त फर्म से नयी तकनीक पर सिस्टम विकसित कराने के उद्देश्य से शासन की अनापत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में अर्द्धशासकी पत्र संख्या: 53/उपा0सी0/07 दिनांक 02 जुलाई, 2007 तथा पत्र संख्या: 63/उपा0सी0/07 दिनांक 20 जुलाई, 2007 तथा पत्र संख्या: 75/उपा0सी0/07 दिनांक 31 जुलाई, 2007 द्वारा प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया गया है। यह अनापत्ति अभी तक प्रतीक्षित है।

6. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या: 1518/78 आई0टी0-2-2002 दिनांक 16 अगस्त, 2002 के द्वारा विभिन्न सार्वजनिक विभागों, निगमों, निकाय आदि द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर कय करने/विकसित करने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है:-

1. सम्बन्धित संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
2. संगठन के वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख।
3. संगठन के तकनीकी विभाग के प्रमुख।
4. संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित 2 बाह्य विशेषज्ञ (यूपी0डेस्को अथवा यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 अथवा एन0आई0सी0 के प्रतिनिधि)।

उपरोक्त के अतिरिक्त उपरोक्त संदर्भित शासनादेश द्वारा एप्लीकेशन साफ्टवेयर कय एवं विकसित करने हेतु स्टोर पर्चेज रूल्स के सामान्य प्राविधानों एव समय-समय पर जारी सम्बन्धित सामान्य निर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश है:-

1. एप्लीकेशन साफ्टवेयर सीधे कय करने/विकसित कराने का कार्य केवल यूपीडेस्को तथा यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 द्वारा सूचीबद्ध (एम्पैनल) आई0टी0 कम्पनियों से कराया जायेगा।
2. एप्लीकेशन साफ्टवेयर सीधे कय करने/विकसित कराने की दशा में कय प्रकिया केवल खुली निविदा द्वारा की जायेगी जो कि दो भागों में टेक्नीकल बिड व फाइनेन्शियल विड होगी और यह दोनो अलग-अलग लिफाफों में प्राप्त की जायेंगी। टेक्निकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई निविदाओं की फाइनेन्शियल बिड खोली जायेगी।
3. वॉछित विशेषताओं एवं शर्तो का स्पष्ट रूप से उल्लेख टेण्डर डाकूमेण्ट में किया जायेगा और टेण्डर खुलने के बाद इनमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
4. टेण्डर प्रकिया एवं कय में पूर्ण पारदर्शिता अपनाये जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग का शासनादेश संख्या-ए-1-1173/दस-2001-10(55)/2000 दिनांक 27.4.2001 के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

7. लखनऊ विकास प्राधिकरण के क्रिया-कलापों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-1518/78आई0टी0-2-2002 दिनांक 16 अगस्त, 2002 के कम में साफ्टवेयर विकसित कराने एवं आवश्यकतानुसार हार्डवियर की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर निम्नानुसार एक कय समिति गठित की गई है:-

1.	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	अध्यक्ष
2.	वित्त नियन्त्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य
3.	श्री एस0एफ0ए0 नकवी, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0	सदस्य

4.	श्री आर0के0 गुप्ता, प्रबन्धक(प्र0)यूपीडेस्को	सदस्य
5.	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	विशेष आमंत्री
6.	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	विशेष आमंत्री
7.	मुख्य अभियन्ता, वि0/यॉ0, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	विशेष आमंत्री
8.	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	विशेष आमंत्री
9.	श्री एस0बी0 मिश्र, उप निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0	विशेष आमंत्री
10.	श्री अनिल तिवारी, सहा0 निदेशक, सिस्ट्म आवास बन्धु	विशेष आमंत्री
11.	एग्जीक्यूटिव सिस्ट्म्स, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	सदस्य/संयोजक

8. प्राधिकरण के कार्यों को कम्प्यूटराईज करने हेतु साफ्टवेयर विकसित कराने एवं आवश्यकतानुसार हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार गठित समिति की दिनांक 12 व 13 जुलाई, 2007 को बैठक सम्पन्न हुई थी। बैठक का कार्यवृत्त क्रमशः प/ग व प/घ पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

9. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1518/78आई0टी0-2-2002 दिनांक 16 अगस्त, 2002 द्वारा कम्प्यूटर के एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रय एवं विकसित करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। शासनादेश की प्रति प/ड़ पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इस शासनादेश के अनुसार यूपीडेस्को तथा यूपी इलेक्ट्रानिक लि0 द्वारा सूचीबद्ध आई0टी0 कम्पनियों के मध्य खुली निविदा के माध्यम से एप्लीकेशन सार्फ्टवेयर क्रय करने/विकसित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रक्रिया के अन्तर्गत दो भागों में टेक्नीकल व फानेन्शियल बिड अलग-अलग प्राप्त किया जाना निर्धारित है। टेक्नीकल बिड खुलने के बाद तकनीकी रूप से सक्षम पाई गई निविदाओं की फाइनेन्शियल बिड खोलने की व्यवस्था की गई है। इन समस्त व्यवस्थाओं का उल्लेख टेण्डर डाकूमेण्ट में किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार खुली निविदा के माध्यम से प्रश्नगत प्रकरण में टू-बिड पद्धति पर प्राधिकरण के कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने, साफ्टवेयर विकसित करने एवं आवश्यकतानुसार हार्डवियर विकसित कराने का प्रस्ताव है।

10. आवास बन्धु द्वारा सभी विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के लिए 'इण्टीग्रेटेड साफ्टवेयर एप्लीकेशन पैकेज' विकसित कराने का कार्य किया जा रहा था, परन्तु अभी तक इसका लखनऊ विकास प्राधिकरण में इम्प्लीमेण्ट नहीं हुआ है। अतः लखनऊ विकास प्राधिकरण को स्वतन्त्र रूप से अपने क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं साफ्टवेयर विकसित कराने एवं क्रियान्वित करने हेतु शासन की अनापत्ति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया था। अनापत्ति अभीतक प्राप्त नहीं हो सकी है।

11. प्राधिकरण के कार्यों के निस्तारण में कठिनाई हो रही है, अतः शासन की अनापत्ति की प्रत्याशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वतन्त्र रूप से अपने क्रिया-कलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1578/78आईटी-2-2002 दिनांक 16 अगस्त, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार साफ्टवेयर विकसित कराने एवं हार्डवियर क्रय करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव</u>

शासन की अनापत्ति की प्रत्याशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वतन्त्र रूप से अपने क्रिया-कलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक अनुभाग, उ0प्र0शा0 के शासनादेश संख्या-1518/78आईटी-2-2002 दिनांक 16 अगस्त, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सॉफ्टवेयर विकसित कराने एवं हार्डवियर क्रय करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

प्राधिकरण के कार्य–कलापों को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से सिस्टम विकसित कराने एवं. हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में दिनॉक 13.07.2007 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्री एस.के. सिंह, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. श्री महेन्द्र प्रसाद, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3. श्री रवि श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता(वि/यॉ), विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
4. श्री एस.एफ.ए. नकवी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
5. श्री आर.के. गुप्ता, मैनेजर, यूपीडेस्को, उत्तर प्रदेश।
6. श्री एस.बी. मिश्र, उप निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 12.07.2007 को उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्पन्न हुयी बैठक में हुये विचार–विमर्श के तारतम्य में यह मत स्थिर हुआ कि उपरोक्त कार्य हेतु इस क्षेत्र की उत्कृष्ट फर्मो की सेवा लिया जाना उचित होगा।

2. यह निर्णय लिया गया कि कन्सल्टेन्ट/फर्म के चयन हेतु आफर आमंत्रित करने के लिये एक सूचना का प्रकाशन एक हिन्दी व एक अंग्रजी के समाचार पत्रों में किया जाये। सूचना में स्कोप आफ वर्क, टर्म आफ रेफरेन्स, चयन की प्रक्रिया आदि का विवरण देते हुये एक 'विड डाक्यूमेन्ट' तैयार करा लिया जाये। डाक्यूमेन्ट में स्कोप आफ वर्क, फर्म के चयन की प्रक्रिया, उपलब्ध तकनीक आदि का पूरा विवरण दिया जाये।

3. एन.आई.सी. के प्रतिनिधि द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस प्रकार के कार्यो में प्रारम्भ में स्कोप आफ वर्क निर्धारित हो पाना कठिन होता है। उन्होंने मत व्यक्त किया कि जो आफर मांगे जाये उसमें सम्बन्धित फर्म से प्रश्नगत कार्य हेतु सुझाव व प्रस्ताव लिया जाये। प्राप्त सुझाव/प्रस्ताव पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार आफर का मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।

4. विचार–विमर्श के उपरान्त यह मत व्यक्त किया गया कि कार्य की लागत प्रतिस्पर्धात्मक रखने के साथ–साथ यह आवश्यक है कि कार्य की गुणवत्ता व चयनित कन्सल्टेन्ट का स्तर उच्च कोटि का हो, जिससे प्रश्नगत परियोजना का सफलतापूर्वक विकसित कराकर प्राधिकरण में 'इम्लीमेन्ट' किया जा सके।

5. अवगत कराया गया कि साफ्टवेयर विकसित कराने/क्रय करने तथा हार्डवेयर की व्यवस्था करने हेतु निविदा आदि के सम्बन्ध में आई.टी. एवं इलेक्ट्रनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। विचार–विमर्श के

Bangwhi

उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि साफ्टवेयर विकसित कराने/क्रय करने तथा हार्डवेयर की व्यवस्था करने हेतु शासनादेश आदि का परीक्षण प्राधिकरण द्वारा कर लिया जाये एवं तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये।

6. विचार–विमर्श के समय इस बिन्दु पर चर्चा हुयी कि इस प्रकार की किसी परियोजना की सफलता के लिये उसका निरन्तर अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। अतः प्राधिकरण स्तर पर अपर सचिव, मुख्य अभियन्ता(वि0यॉ0), तथा श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, आवास बन्धु एवं श्री एस.बी. मिश्र, उप निदेशक, आवास बन्धु की एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। इस समिति द्वारा दिन–प्रतिदिन के आधार पर इस परियोजना का अनुश्रवण तथा विभिन्न विभागो से समन्वय करके उन्हें सूचनाऐं उपलब्ध कराने का कार्य किया जायेगा।

अनुमोदित

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

प्राधिकरण के कार्य–कलापों को कम्प्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से सिस्टम विकसित कराने एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में दिनॉक 12.07.2007 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः

1. श्री एस.के. सिंह, अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. श्री आर.एल. यादव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
3. श्री एस.एफ.ए. नकवी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी.।
4. श्री रवि श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता(वि/यॉ), विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
5. श्री त्रिलोकी नाथ, मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
6. श्री सी.पी. शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
7. श्री महेन्द्र प्रसाद, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
8. श्री आर.के. गुप्ता, मैनेजर, यूपीडेस्को, उत्तर प्रदेश।
9. श्री एस.बी. मिश्र, उप निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
10. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम्स, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
11. श्री वी.के. गोयल, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

बैठक में प्राधिकरण के विभिन्न कार्य–कलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा हुई। अवगत कराया गया कि अभी तक प्राधिकरण के विभिन्न कार्य जैसे अभियंत्रण, भूमि अर्जन, सम्पत्ति निस्तारण, निबन्धन, नियोजन, नजूल, रेण्ट, जनशिकायत, जनसूचना, लेखा एवं वित्त, अधिष्ठान आदि विभागों के कार्य पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत नहीं हैं। कुछ अनुभागों के कार्य आंशिक रूप से कम्प्यूटरीकृत हैं, परन्तु उनका आपस में इन्ट्रीग्रेशन नहीं है। विभिन्न विभागों का आपस में इन्ट्रीग्रेशन न होने के कारण सूचनाओं की 'सेयरिंग' नहीं हो पाती है। यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 1995 में सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा सिस्टम विकसित किया गया था, परन्तु वह प्राधिकरण में पूरी तरह से इम्लीमेन्ट नहीं हो सका। कुछ अनुभागों में सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा विकसित सिस्टम विकसित किया गया है, उनमें भी सिस्टम पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है तथा विभिन्न अनुभागों में इन्ट्रीग्रेशन नहीं है।

2. कम्प्यूटर अनुभाग के उपस्थिति अधिकारियों द्वारा बताया गया कि सी.एम.सी. लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया सिस्टम आंशिक रूप से लागू किये जाने के साथ ही साथ वर्तमान में नयी तकनीक आ जाने के कारण यह 'Obslete' हो गया है। उपरोक्त पर विचार–विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि नवीनतम उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्राधिकरण के विभिन्न क्रिया–कलापों को कम्प्यूटरीकृत किया जाये एवं इस हेतु उत्कृष्ट

Sangeeta

एवं अनुभवी फर्म को आबद्ध करके उनसे सिस्टम विकसित कराया जाये एवं आवश्यकतानुसार हार्डवेयर की व्यवस्था करायी जाये।

3. विचार–विमर्श के उपरान्त यह मत स्थिर हुआ कि जो भी सिस्टम विकसित हो उससे प्राधिकरण के समस्त अनुभागों को इन्ट्रीग्रेटेड कर दिया जाये। ऐसी व्यवस्था बनायी जाये, जिसमें उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा शासन के अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के साथ आन–लाइन वार्तालाप की जा सके एवं सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके। सभी क्रिया–कलाप कम्प्यूटर के माध्यम से हो तथा जन सामान्य को सम्पत्ति तथा उनकी शिकायत आदि का स्टेटस ऑन–लाइन प्राप्त हो सके।

4. इस बिन्दु पर विचार–विमर्श हुआ कि प्रायः सिस्टम विकसित करने के उपरान्त उसका इम्पलीमेन्टेशन किया जाना कठिन होता है एवं सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी प्रारम्भ के कुछ दिनों तक उसमें रूचि नही लेते है। अतः यह मत स्थिर हुआ कि सिस्टम विकसित करने के उपरान्त तीन वर्ष तक सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्तर से प्राधिकरण में इसे इम्पलीमेन्ट किया जाये एवं इसके उपरान्त दो वर्ष तक 'हैन्ड होल्डिंग' की व्यवस्था की जाये, जिससे तकनीक आदि का स्थानान्तरण हो सके व कार्य सुनिश्चित हो सके।

5. इस कार्य हेतु प्रतिष्ठित कान्सल्टेन्ट के चयन के सम्बन्ध में चर्चा हुई। यह निर्णय लिया गया कि बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा आफर प्राप्त करने एवं उनके चयन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया आदि का अध्ययन कर लिया जाये एवं दिनांक 13.07.2007 को पूर्वान्ह 11:00 बजे पुनः बैठक रखी जाये, जिसमें कन्सलटेन्ट के चयन हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया आदि पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया जाये।

अनुमोदित

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

विषयः राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में।

मा० उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में दायर जनहित याचिका संख्या २१०२(एम.बी.)/१९९७ श्री बी.के. सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में लखनऊ नगर में अवस्थापना की विभिन्न सुविधाओं के विकास तथा परिवहन व्यवस्था आदि के बिन्दु उठाये गये थे। इस याचिका में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्मित करने के बिन्दु पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किये गये थेः-

"The authorities should also chalk out a plan to construct a road over Ghaziuddin Hyder Canal and in such a way that sewer remained under ground to ease the congestion of traffic from Charbagh to Gomti Nagar."

२. मा० न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुपालन के क्रम में कार्यवाही रिपोर्ट (ए.टी.आर.) मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें उपरोक्त विषय पर निम्न टिप्पणी की गईः-

"The Action Taken Report mentions that on 17.5.2001 a meeting of the officers presided over, by the Secretary, Urban Development regarding construction of road over Ghaziuddin Haider Canal was held, where it was proposed that six lane road may be constructed and in that regard the opinion of RITES will be sought. Regarding shifting of high tension line near the Canal LESA will be approached and the persons who have built their 'jhuggis' and houses on both the sides of the Canal, will be shifted to other places for which Lucknow Development Authority will be approached for their rehabilitation. It was submitted that on completion of the said project, the traffic congestion from Charbagh, Nakahindola and Hazaratganj etc. shall be considerably decreased."

३. उक्त कार्यवाही रिपोर्ट पर विचार करते हुए मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक २३.०५.२००१ को निम्न आदेश पारित किये गयेः-

"The State Government/Central Government is directed to provide necessary fund for the project of construction of six lines roads over Ghaziuddin Haider Canal. Nodal Officer is dirceted to contact the authorities concerned in that regard and submit his report on the next date of listing as to what has been done regarding implementation of the project."

४. सर्व प्रथम वर्ष १९९८ में राजाजीपुरम डी-ब्लाक से कालीदास मार्ग तक लगभग १० किमी लम्बाई में जी.एच. कैनाल के ऊपर सड़क निर्मित करने हेतु राइट्स द्वारा फिजिविलिटी स्टडी की गई थी। पुनः मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में आयुक्त, लखनऊ मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा

(आर० के० शुक्ला)
अधिशासी अभियन्ता जोन-10

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

लिये गये निर्णय के अनुसार परियोजना के मवैया-बॉस मण्डी प्रखण्ड पर 'सैम्पुल फिजिबिल्टी' सर्वेक्षण कराया गया था। राईट्स द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट दो प्रखण्ड में मार्च २००३ में प्रस्तुत की गई थी। राईट्स द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक्सप्रेशन आफ इन्ट्रेस्ट माँगे जाने के लिए निविदा सूचना का ड्राफ्ट पत्र संख्याः १०१/उपा.सी./प्राधि. भवन दिनॉक २३ अगस्त, २००३ के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही हेतु मार्ग दर्शन के लिए प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन को प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के क्रम में सचिव, नगर विकास द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः ४०१६/९-७-०३-१०ज/०१ दिनॉक ०१ अक्टूबर, २००३ के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सम्पर्क स्थापित करने की अपेक्षा की गई। इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी।

५. चारबाग क्षेत्र में बस व आटो की पार्किंग के फलस्वरूप मार्ग पर वाहनों का आवागमन कठिन होता है तथा प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में इस प्रखण्ड पर वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता के दृष्टिगत लखनऊ के मास्टर प्लान में राजाजीपुरम डी-ब्लाक से कालीदास मार्ग तक लगभग १० किलो मीटर लम्बाई में एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित किया गया है। इस सड़क के निर्माण से हजरतगंज क्षेत्र पर यातायात के दबाव में कमी आयेगी तथा चारबाग, हुसैनगंज, बापू भवन तथा हजरतगंज क्षेत्र में लगने वाले जाम के फलस्वरूप यातायात में उत्पन्न होने वाले अवरोध के लिए एक वैकल्पिक परिवहन मार्ग उपलब्ध हो सकेगा। प्रश्नगत परियोजना कई वर्ष पुरानी है, परन्तु जी.एच. कैनाल के दोनो ओर अनधिकृत निर्माण होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। यह उल्लेखनीय है कि जी.एच. कैनाल के दोनो ओर की भूमि नजूल/इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट की भूमि है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। नजूल की भूमि का रख-रखाव एवं प्रबन्धन लखनऊ नगर में शासन की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

६. राइट्स द्वारा वर्ष २००३ में १.६६ किमी० लम्बाई में सड़क निर्माण एवं नाले को कवर करने आदि कार्यो के लिए रु० २५.५८५ करोड के व्यय का ऑकलन किया गया था, जिसके आधार पर चार वर्षो की मूल्य वृद्धि जोड़ते हुए १० किमी० लम्बाई के लिए मोटे अनुमान के आधार पर लगभग रु० २५०.०० करोड़ का व्यय सम्भावित है।

७. उल्लेखनीय है कि कालीदास मार्ग तथा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के बीच कुछ भाग में राजभवन परिसर की भूमि एवं राजभवन कालोनी स्थित है। अतः विचार-विमर्श के उपरान्त यह उचित पाया गया कि लालबहादुर शास्त्री मार्ग से जी. एच. कैनाल के अप स्ट्रीम की ओर कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जाये। नगर निगम व डूडा के सहयोग से लालबहादुर शास्त्री मार्ग से जी.एच. कैनाल के अप स्ट्रीम में नाले के किनारे स्थित अनाधिकृत निर्माण को हटाने एवं उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही की गई है। वर्तमान समय में लगभग २५० मीटर लम्बाई में १७७ परिवारों को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा डूडा द्वारा अपनी योजनाओं में एक कमरे के भवन आवंटित करके पुनर्वासित किया गया है एवं इस लम्बाई में अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण हटाये जा चुके हैं। कैनाल के

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

दूसरे प्रखण्ड में अभी तक अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाये जा सके हैं। प्रथम चरण में सदर क्रासिंग तक अनाधिकृत निर्माणों का चिन्हींकरण किया जा रहा है।

८. परियोजना विशिष्ट तकनीकी प्रकार की होने के कारण प्रथम चरण में लालबहादुर शास्त्री मार्ग के अप स्ट्रीम में लगभग ३५० मीटर लम्बाई में नाले पर स्लैब डालकर निर्मित करने का कार्य उ.प्र. राज्य सेतु निगम को सौपा गया है। कैनाल पर चार लेन की सड़क का प्रस्ताव है। नाले पर लगभग ६.०० मीटर चौड़ी स्लैब डालने का प्राविधान सेतु निगम ने किया है। इसके फलस्वरूप नाले की स्लैब पर दो लेन की सड़क तथा डिवाइडर उपलब्ध होगा, शेष दो लेन नाले के दाहिनी पटरी पर निर्मित की जानी हैं। सेतु निगम द्वारा इस कार्य हेतु रु० ६६५.०० लाख का व्ययानुमान प्रस्तुत किया गया है। सेतु निगम की मॉग के दृष्टिगत कार्यहित में उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रु० १.०० करोड की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गई है। वर्तमान में सेतु निगम द्वारा मात्र एक टेस्ट पाइल का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

९. परियोजना का डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य रीजनल सेन्टर फार अर्बन एण्ड इनवायरनमेन्टल स्टडीज, लखनऊ को सौपा गया है। इस सेन्टर द्वारा डी.पी. आर. का एक आलेख तैयार करके सम्बन्धित विभागों यथा नगर निगम, उ.प्र. जल निगम, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग को परीक्षण एवं सुझाव हेतु प्रेषित किया गया है।

१०. लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास के कार्यो के लिए शहरी समग्र विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा आई.डी.एफ.सी. को कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया गया है। अतः यह उचित प्रतीत होता है कि आई.डी.एफ.सी. द्वारा प्रश्नगत परियोजना की स्टडी तथा फिजविल्टी रिपोर्ट तैयार की जाये। आई.डी.एफ.सी. द्वारा स्टडी के उपरान्त डी.पी.आर. आदि तैयार किया जायेगा एवं उस पर सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति के उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्टडी रिपोर्ट के उपरान्त यह निर्णय भी लिया जाना होगा कि परियोजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र के सहयोग से पी.पी.पी. माडल पर कराया जाये अथवा शासन के वित्त-पोषण से।

प्रस्ताव

उपरोक्त के दृष्टिगत राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर चार लेन की सड़क निर्माण तथा अन्य विकास व सौन्दर्यीकरण का कार्य किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने एवं इस हेतु आई.डी.एफ.सी. से कन्सल्टेन्सी का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(आर० के० शुक्ला)
अधिशासी अभियन्ता जोन-10

मुख्य अभियंता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

C:\Documents and Settings\lda67lda\Desktop\Agenda LDA Board.doc

उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. द्वारा दिनॉक 26 जुलाई, 2007 को गोमती नगर में गोमती नदी के बॉये तटबन्ध के चौड़ीकरण तथा जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण के स्थल निरीक्षण एवं बैठक का कार्यवृत्त।

गोमती नगर में गोमती नदी के बॉये तटबन्ध के चौड़ीकरण

निरीक्षण के समय सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री राकेश श्रीवास्तव, व उनके साथ सिंचाई विभाग के अन्य अभियन्ता तथा श्री आर0के0 शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण उपस्थित थे।

2. सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि बन्धे के चौड़ीकरण का कार्य दिनॉक 15 सितम्बर, 2007 तक तथा बन्धे के स्लोप पर बोल्डर पिचिंग का कार्य दिनॉक 15 अक्टूबर, 2007 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

(कार्यवाही– सिंचाई विभाग)

3. गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत नदी के बॉये तटबन्ध पर निर्माणाधीन बन्धे के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा अपेक्षा की गई कि बन्धे के कार्य में वॉछित प्रगति लाकर बन्धे का अवशेष कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही– सिंचाई विभाग)

जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्माण

बैठक में उ.प्र. राज्य सेतु निगम के श्री के0एस0 गोयल, महा प्रबन्धक, श्री एन0के0 श्रीवास्तव, उपमहाप्रबन्धक, सेतु निगम श्री सी0पी0 शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री आर.के. शुक्ला अधिशासी अभियन्ता, ल.वि.प्रा. व अन्य उपस्थित हुए।

2. सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में राइट्स द्वारा राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक लगभग 10 किमी लम्बी जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्मित करने हेतु स्टडी की गयी थी। इस बीच कैनाल के दोनों ओर काफी मात्रा में पक्के निर्माण हो गये हैं जिसके कारण पूरी लम्बाई में सड़क के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं मिल पायेगी । मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि महायोजना में इस सड़क की चौड़ाई 60 मीटर निर्धारित है। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि नाले के दोनों किनारे से सटे हुए अर्द्धपक्के व उसके बाद दोनों ओर पक्के व बड़े निर्माण हैं जिन्हें हटाया जाना सम्भवतः कठिन होगा। बताया गया कि नाले के किनारे जो अर्द्धपक्के निर्माण हैं उन्हें हटाने के उपरान्त भी सड़क हेतु 25 मीटर से 40 मीटर तक चौड़ी भूमि ही मिल पायेगी। सेतु निगम द्वारा सुझाव दिया गया कि नाले के किनारे स्थित पक्के निर्माणों को दृष्टिगत रखते हुए 30 मीटर चौड़ी सड़क निर्मित किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।

अपेक्षा की गयी कि इसका परीक्षण करा लिया जाये एवं तद्नुसार सड़क निर्माण के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते हुए यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

(कार्यवाही : सेतु निगम / लखनऊ विकास प्राधिकरण)

3. सेतु निगम द्वारा सेतु निगम द्वारा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के अपस्ट्रीम में जी.एच. कैनाल पर जो कार्य प्रारम्भ किया गया है उसकी प्रगति अत्यन्त कम पायी गई। अवगत कराया गया कि अभी तक डिजाइन का कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रगति नहीं हो सकी है। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि शीघ्र ही वॉछित प्रगति लायी जायेगी। सेतु निगम के अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि तत्काल कार्य में वॉछित प्रगति लायें।

(कार्यवाही– सेतु निगम)

4. अवगत कराया गया कि सड़क के एलाइनमेन्ट में कुछ पेड़ स्थित हैं। अपेक्षा की गई कि पेड़ो का विवरण प्राधिकरण को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाये, जिससे नियमानुसार वन विभाग से अनापत्ति लेकर उनका पातन कराया जा सके।

(कार्यवाही– सेतु निगम)

5. अवगत कराया गया कि नाले के दोनो ओर सीवर लाइन स्थित है। जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि यह लाइन निष्प्रयोज्य है। अपेक्षा की गई कि जल संस्थान से इसकी लिखित पुष्टि कराकर सेतु निगम द्वारा निष्प्रयोज्य लाइन को हटाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही– सेतु निगम / श्री आर.के. शुक्ला, अधि.अभि.)

6. नाले के किनारे जो अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, उसे विकसित करने के सम्बन्ध में अपेक्षा की गई कि तत्काल इसका व्ययानुमान तैयार कराके स्वीकृत कराया जाये एवं निविदा की कार्यवाही करके यथाशीघ्र वॉछित विकास कार्य प्रारम्भ कराये जायें।

(कार्यवाही– श्री आर.के. शुक्ला, अधि.अभि.)

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष 26/7/07

कार्यालयः उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

पत्रांकः 49/प्रा०उ०/07 दिनॉकः 26 जुलाई, 2007

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सेतु निगम लि., लखनऊ।
2. महाप्रबन्धक, उ.प्र. सेतु निगम लि., लखनऊ।
3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4. अपर सचिव(एस), लखनऊ विकास प्राधिकरण।
5. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
6. मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
7. श्री जय विलास, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ.प्र.।
8. श्री आर.के. शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
9. श्री डी.एस. चौधरी, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10. गार्ड फाइल।

(हरभजन सिंह) 26/7/07
उपाध्यक्ष

संख्या 288/एनएस
दिनांक 4.8.2003

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय नजूल भूमि खसरा संख्या 196 (भाग) क्षेत्रफल 541.26 वर्गमीटर स्थित लालबहादुर शास्त्री मार्ग के बागवानी पट्टे के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 3023/आठ-4-03-394एन/2003 दिनांक 2.8.2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के कम में निम्न स्थिति संज्ञान में लानी है।

प्रश्नगत नजूल भूमि खसरा संख्या 196 (भाग) क्षेत्रफल बीघा 0-6-12-15 (839.71 वर्गमीटर) का स्थित मोहल्ल बरफ खाना हैवलक रोड (वर्तमान लाल बहादुर शास्त्री मार्ग) लखनऊ का पट्टा बागवानी प्रयोजन हेतु दिनांक 1.4.1970 से 7 वर्ष की अवधि हेतु श्रीमती रूक्मिणी शिवदसानी के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। पट्टा अवधि दिनांक 31.3.1977 को समाप्त हो गयी। पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात नजूल नीति की व्यवस्था के तहत उक्त भूखण्ड को रिक्त मानते हुए दिनांक 29.06.2002, 24.10.2002 तथा दिनांक 28.01.2003 को नीलामी/निविदा के माध्यम से निस्तारण का प्रयास किया गया किन्तु कोई नीलामी बोली /निविदा प्राप्त न होने के कारण उसका निस्तारण नहीं हो सका।

प्रश्नगत नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड कराने के लिए श्री बाबू सिंह कुशवाहा, महासचिव, बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्यावेदन दिनांक 2.8.2003 प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि मेसर्स इन्कैन कन्सलटेन्सी लि. इन्कैन भवन, कपूरथला, लखनऊ की अचल सम्पत्ति, जो कि 5 लालबहादुर शास्त्री मार्ग पर स्थित है, तथा जिसका नगर निगम नम्बर सी-17/14 हैवलक रोड, लखनऊ है और जिसका क्षेत्रफल 18900 वर्ग फुट है, का कब्जा

जरिए नीलामी क्रय के पश्चात दिनांक 20.03.2003 को बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ है। साक्ष्य स्वरूप नीलाम अधिकारी द्वारा प्रदत्त कब्जा प्रमाण पत्र तथा उक्त नीलामी में क्रय की गयी भू-भाग की रजिस्ट्री की प्रति भी संलग्न की गयी है। श्री कुशवाहा के अनुसार जिस भू-भाग का कब्जा उन्हें जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त किया गया उसमें कब्जा प्राप्त करनेके पश्चात पैमाइश करने पर यह संज्ञान में आया कि उसमें कुछ भू-भाग खसरा संख्या 196 का अंश भाग नजूल भी है। चूंकि उक्त भू-भाग उनके अवैध कब्जे में है, अतः अवैध कब्जा मानते हुए इस भू-भाग को बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने का अनुरोध किया है। अपने आवेदन पत्र के साथ अवैध कब्जे के संबंध में तहसीलदार (सदर), लखनऊ की एक रिपोर्ट दिनांक 2.7.2003 भी संलग्न की हैं। तहसीलदार, सदर, लखनऊ जो कि उक्त नीलामी के नीलाम अधिकारी भी थे, ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 2.7.2003 में यह कहा है कि उनके द्वारा नीलामशुदा भूखण्ड की नीलामी की विधिवत कार्यवाही दिनांक 18.2.03 को की गयी। मौके पर नीलामशुदा भूखण्ड पर बाकीदार फर्म की पुरानी बाउन्ड्रीवाल बनी हुई थी जिसके अन्तर्गत नीलाम किये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल समिलित था जिस पर उक्त फर्म (मेसर्स इन्कैन कन्सलटेन्सी सर्विसेज लि0) का पुराना कब्जा था जो सम्भवतः नजूल सम्पत्ति है। तहसीलदार सदर, ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि जांच में पाया गया कि उक्त भूमि चहरदीवारी के अन्दर 1993 से मेसर्स इन्कैन कन्सलटेन्सी सर्विसेज लि0 व उसकी सिस्टर कन्सर्न के कब्जे में चला आ रहा था जिसे उक्त फर्म ने श्री शिवदासानी पुत्र स्वर्गीय श्री आर0टी0 शिवदासानी तथा मिस लोलिका पुत्री स्वर्गीय श्री आर.टी0 शिवदासानी से क्रय किया था। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में इस बात कीपुष्टि की है कि अतिरिक्त क्षेत्रफल नजूल भूमि का है तथा बकाया वसूली तथा उनकी नीलामी में सम्मिलित नही है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि श्री शिवदासानी को गार्डेन लीज पर दी गयी नजूल जमीन पट्टा अवधि के समाप्त होने के पश्चात रिक्त नही हुई थी। चूंकि खसरासंख्या 196 मिलाजुला नम्बर था, इसकी आंशिक भूमि रिहायशी पट्टे में थी जिसका फ्रीहोल्ड 18.05.1993 को श्रीमती चन्द्रा शिवदासानी एवं कु0 लोलिका शिवदासानी के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है। इसी खसरा नम्बर का शेष उपरोक्त क्षेत्र बागवानी पट्टे में था। चूंकि मिलाजुला नम्बर है, इसलिए कदाचित एक ही चहरदीवारी के अन्दर रहा होगा। जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्रांक 2918/ ओ0एस0डी0/2003 दिनांक 4.8.2003 के माध्यम से प्राप्त तहसीलदार सदर की रिपोर्ट को आधार मानते हुए अवैध कब्जे की पुष्टि होती है जो कि यथावत् पट्टेदार और उसके बाद उत्तरोत्तर क्रेतागण एवं वर्तमान आवेदक को हस्तांतरित हुई है। नजूल सर्वेयर/अमीन से की आख्या दिनांक 5.02.2003 से भी तहसीलदार, सदर, लखनऊ/नीलाम अधिकारी की आख्या की पुष्टि होती है। उपरोक्त

को दृष्टिगत करते हुए प्रश्नगत बागवानी पट्टे की जमीन को अवैध कब्जा मानते हुए आवेदक के पक्ष में फ्रीहोल्ड करने में आपत्ति नहीं प्रतीत होती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि महायोजना 2001 में हैदर कैनाल पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े एक्सप्रेस हाईवे की चौडाई 60 मीटर से घटाकर 40 मीटर किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा परिचालन के माध्यम से दिनांक 29.7.2003 को स्वीकृत हुआ। उक्त प्रस्ताव के आधार पर महायोजना 2001 में संशोधन की कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है। प्रश्नगत बागवानी पट्टे की जमीन जिसका फ्रीहोल्ड किया जाना प्रस्तावित है, उपरोक्त एक्सप्रेस हाई वे की 60 मीटर चौडाई से आच्छादित है।

कृपया महायोजना 2001 में हैदरकैनाल पर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े एक्सप्रेस हाईवे की चौड़ाई 60 मीटर से घटाकर 40 मीटर किये जाने सम्बन्धी प्राधिकरण बोर्ड के प्रस्ताव दिनांक 29.07.2003 के सम्बन्ध में शासन के निर्णय से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में प्राप्त श्री कुशवाहा, महासचिव, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्यावेदन के संबंध में कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(महेश कुमार गुप्ता)
उपाध्यक्ष

विषय संख्याः **6** पृष्ठ संख्याः **38**

विषयः राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन व भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

आख्याः

राजाजीपुरम डी-ब्लाक से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल के ऊपर सड़क निर्मित करने हेतु राइट्स द्वारा वर्ष १९९८ में फिजिबिलिटी स्टडी की गई थी, उसके उपरान्त वर्ष २००३ में पुनः राइट्स द्वारा मवैया से बासमण्डी चौराहे तक १.६० किमी लम्बाई में सैम्पुल स्टडी की गई एवं मार्च २००३ में दो खण्डों में स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रश्नगत परियोजना कई वर्ष पुरानी है, परन्तु जी.एच. कैनाल के दोनों ओर अनाधिकृत निर्माण होने के कारण इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सका है। यह उल्लेखनीय है कि जी.एच. कैनाल के दोनो ओर की भूमि नजूल/इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट की भूमि है, जिसका स्वामित्व राज्य सरकार/लखनऊ विकास प्राधिकरण का है। नजूल की भूमि का रख-रखाव एवं प्रबन्धन लखनऊ नगर में शासन की ओर से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

२. विगत कई वर्षो में नाले के किनारे के कच्चे निर्माण थे वे अर्धपक्के हो गये एवं जो पक्के थे वे बड़े और पक्के हो गये, जिसके फलस्वरूप सड़क निर्माण के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

३. वर्ष २००० में मा. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ के समक्ष दायर एक जनहित याचिका श्री बी.के. सिंह बनाम उ.प्र. सरकार व अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा जी.एच. कैनाल पर एक्सप्रेस-हाइवे बनाने के निर्देश दिये गये थे। इस हेतु यह भी निर्देश दिये गये थे कि राइट्स द्वारा अलग से फिजिबिलिटी स्टडी आदि कराकर सरकार द्वारा एक्सप्रेस-हाइवे के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये, परन्तु परियोजना स्थल के दोनो ओर काफी संख्या में अनाधिकृत निर्माण होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। उल्लेखनीय है कि कालीदास मार्ग तथा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के बीच में राजभवन परिसर की कुछ भूमि एवं राजभवन कालोनी स्थित है। अतः विचार-विमर्श के उपरान्त यह उचित पाया गया कि जी. एच. कैनाल के अप स्ट्रीम में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से अप स्ट्रीम की ओर कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही की जाये। नगर निगम व डूडा के सहयोग से लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के अप स्ट्रीम में नाले के किनारे स्थित अनाधिकृत निर्माण को हटाने एवं उन्हें पुनर्वासित करने की कार्यवाही की गई है। वर्तमान समय में लगभग २०० मीटर लम्बाई में १७७ परिवारों को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा डूडा द्वारा अपनी योजनाओं में एक कमरे के भवन आवंटित करके पुनर्वासित किया गया है एवं इस लम्बाई में अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण हटाये जा चुके हैं। कैनाल के दूसरे प्रखण्ड में अभी तक अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाये जा सके हैं, परन्तु प्रथम चरण में सदर क्रासिंग तक अनाधिकृत निर्माणों का चिन्हींकरण किया जा रहा है।

C:\Documents and Settings\lda67lda\Desktop\G.H.Kanal-1.doc

आर० के० [illegible])

मुख्य [illegible]
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

४. परियोजना विशिष्ट तकनीकी प्रकार की होने के कारण प्रथम चरण में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के अप स्ट्रीम में लगभग ३५० मीटर लम्बाई में नाले पर स्लैब डालने का कार्य उ.प्र. राज्य सेतु निगम को सौंपा गया है। इस हेतु, सेतु निगम द्वारा पाइल टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है।

५. परियोजना की प्रगति के सम्बन्ध में दिनांक २६ जुलाई, २००७ को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल निरीक्षण एवं बैठक की गई थी। बैठक में उ.प्र. राज्य सेतु निगम के महाप्रबन्धक श्री के.एस. गोयल तथा उप महाप्रबन्धक श्री एन.के. श्रीवास्तव, श्री सी.पी. शर्मा, मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा श्री आर.के. शुक्ला, अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण व अन्य उपस्थित थे।

सेतु निगम के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में राइट्स द्वारा राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक लगभग १० किमी लम्बी जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्मित करने हेतु स्टडी की गई थी। इस बीच कैनाल के दोनो ओर काफी मात्रा में पक्के निर्माण हो गये हैं, जिसके कारण पूरी लम्बाई में सड़क के लिए पर्याप्त चौड़ाई नहीं मिल पायेगी। मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के समय बताया गया कि महायोजना में इस सड़क की चौड़ाई ६० मीटर निर्धारित है। सेतु निगम के अधिकारियों ने बताया कि नाले के दोनो किनारों से सटे हुए अर्द्धपक्के व उसके बाद दोनो ओर पक्के व बड़े निर्माण हैं, जिन्हें हटाया जाना सम्भवतः कठिन होगा। यह भी बताया गया कि नाले के किनारे जो अर्द्धपक्के निर्माण हैं, उन्हें हटाने के उपरान्त सड़क हेतु २५ मीटर से ४० मीटर तक चौड़ी भूमि की मिल पायेगी। सेतु निगम द्वारा सुझाव दिया गया है कि नाले के किनारे स्थित पक्के निर्माणों को दृष्टिगत रखते हुए ३० मीटर चौड़ी सड़क निर्मित किये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।

६. जी.एच. कैनाल के वाटर चैनल की चौड़ाई लगभग ६.०० मीटर है। इसके किनारे दोनो ओर अतिक्रमण एवं अनाधिकृत निर्माण हैं। नाले के समीप बड़े व पक्के निर्माण स्थित हैं। जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर में अंकित किया गया जा चुका है, लगभग २०० मीटर लम्बाई में १७७ परिवारों को पुनर्वासित किया गया है। इससे यह ऑकलन आसानी से लगाया जा सकता है कि नाले की कुल लम्बाई १० किमी में लगभग ६-८ हजार अनाधिकृत निर्माण होंगे। इतनी बडी संख्या में निर्माणों को हटाना एवं पुनर्वासित करना बहुत कठिन कार्य होगा।

७. लखनऊ में राजाजीपुरम, मवैया तथा चारबाग की ओर से हजरतगंज की ओर आने वाले वाहनों की संख्या अत्याधिक होती है, जिससे यातायात पर बहुत अधिक दबाव रहता है एवं प्रायः तालकटोरा चौराहा, मवैया चौराहा, चारबाग, के.के.सी. चौराहा, हुसैनगंज तथा रायल होटल चौराहा एवं हजरतगंज क्षेत्र में जाम लगा रहता है। जी.एच. कैनाल पर सड़क निर्मित होने से इस समस्या के काफी सीमा तक निदान मिल जायेगा।

८. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के अप स्ट्रीम में २०० मीटर के प्रखण्ड में अनाधिकृत निर्माण हटाने के उपरान्त अधिकतम ४० मीटर चौड़ाई में ही भूमि प्राप्त हो पायी है, जबकि लखनऊ महायोजना-२०२१ में जी.एच. कैनाल पर प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई ६० मीटर

(आर० के० शुक्ला)

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

दर्शायी गई है। यदि ६० मीटर चौड़ाई में अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण किया जाये तो इससे १०-१२ हजार परिवारों को पुनर्वासित करने के उपरान्त उनके निर्माण हटाना होगा। प्रकरण अत्यन्त जटिल प्रतीत होता है। अनाधिकृत निर्माणों की भारी संख्या होने से यदि उन्हें हटाया जायेगा तो भारी जनाक्रोश उत्पन्न होने की सम्भावना होगी। अतिक्रमण हटाने के दौरान मा. न्यायालय में वाद आदि दायर होने की भी सम्भावना है। अतः इस बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है कि सड़क की चौड़ाई इस प्रकार रखी जाये कि कम से कम निर्माण प्रभावित हों एवं सड़क निर्मित करके वॉछित उद्देश्य की पूर्ति भी हो सके। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत जी.एच. कैनाल के दक्षिण भाग में ३० मीटर चौड़ाई में सड़क निर्माण पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। कैनाल के किनारे मुख्यतयः आवासीय भवन निर्मित हैं, अतः कैनाल के बॉयी पटरी पर (उत्तर में) अवशेष ३० मीटर चौड़ी पट्टी में भूमि का भू-उपयोग सड़क से परिवर्तित करके आवासीय भू-उपयोग में किया जाना उचित प्रतीत होता है। भू-उपयोग परिवर्तन के पश्चात् अवशेष ३० मीटर चौड़ाई में स्थित निर्माणों को नियमानुसार नियमित करने अथवा उन्हें हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार ३० मीटर चौड़ी पट्टी में आवासीय भूमि उपलब्ध होने से उसके विनियमितीकरण अथवा उसे खाली कराकर उसके निस्तारण से प्राप्त होने वाली धनराशि का प्रयोग कैनाल के ऊपर ३० मीटर चौड़ी सड़क बनाने में प्रयोग किये जाने से परियोजना की वायबिलिटी पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि ३० मीटर चौड़ाई में चार लेन की सड़क, डिवाइडर, फुटपाथ आदि निर्मित हो सकते हैं।

८. उपरोक्त के दृष्टिगत राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर लखनऊ महायोजना-२०२१ में सड़क की चौड़ाई ६० मीटर के स्थान पर सड़क के दक्षिण में ३० मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के वित्त पोषण के लिए इसे आर्थिक दृष्टि से वायवुल बनाने के उद्देश्य से इसके साथ अन्य वाणिज्यिक अथवा आवासीय भू-उपयोग अनुमन्य किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सड़क के उत्तरी भाग में शेष ३० मीटर भूमि का भू-उपयोग कालीदास मार्ग से सदर क्रासिंग तक आवासीय, सदर क्रासिंग से मवैया तक वाणिज्यिक तथा मवैया से राजाजीपुरम तक आवासीय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

<u>प्रस्तावः</u>

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत लखनऊ महायोजना-२०२१ में राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी.एच. कैनाल पर सड़क की चौड़ाई ६० मीटर से ३० मीटर (कैनाल के दॉयी पटरी पर) किये जाने तथा कैनाल की बॉयी पटरी पर अवशेष ३० मीटर चौड़ी पट्टी का भू-उपयोग कालीदास मार्ग से सदर क्रासिंग तक आवासीय, सदर क्रासिंग से मवैया तक वाणिज्यिक तथा मवैया से राजाजीपुरम तक आवासीय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

...नगर नियोजक
...विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(आर० के० शुक्ला)
...अधिशासी अभियन्ता जोन-10

विषय सं०-7

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में विचारार्थ प्रस्ताव

श्री राम पाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक के पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिह सड़क दुर्घटना में दिनांक 01.08.2006 को घायल हो गये थे, जिनकी चिकित्सा मेयो हास्पिटल, गोमती नगर, लखनऊ में हो रही थी, परन्तु चिकित्सा के दौरान ही उनका देहान्त दिनांक 05.11.2006 को हो गया। श्री राम पाल सिंह वरिष्ठ लिपिक को अपने पुत्र की चिकित्सा हेतु रू0 4,37,500/- अग्रिम भुगतान किया गया था। जिसका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है। श्री राम पाल सिंह ने अपने पुत्र की चिकित्सा पर हुए व्यय धनराशि रू0 817044/- का बाऊचर्स (बिल) प्रस्तुत किया है, जो विभागीय चिकित्सक डा0 अनिल बोगरा द्वारा सत्यापित है। उक्त चिकित्सा व्यय रूपया 817044/- की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति उपरान्त दिये गये चिकित्सा अग्रिम रू0 437500.00 का समायोजन करने के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान श्री राम पाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक को किया जाएगा।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

10.7.2007
(योगेश कुमार शुक्ला)
संयुक्त सचिव-(अधि0)

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव,

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

विषयः हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग काम्पलेक्स का निर्माण।

दिनॉक १२ जुलाई, २००७ को माननीया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास के सम्बन्ध में बैठक हुई थी। इस बैठक में अन्य विषयो के साथ-साथ निम्न निर्णय लिया गया थाः-

१. हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, पुलिस अधीक्षक, नगर पूर्वी, क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज व फायर ब्रिगेड के कार्यालयों को बाल्मीकि मार्ग स्थित महानिदेशक, कारागार के कार्यालय एवं आवासीय भवन में नियमानुसार शिफ्ट कर दिया जाये।

२. महानिदेशक, कारागार का कार्यालय गोमती नगर स्थित पिकप भवन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय भवन में नियमानुसार शिफ्ट कर दिया जाये।

३. लखनऊ विकास प्राधिकरण हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, इस भवन से लगे पुलिस विभाग के अन्य कार्यालयों तथा फायर ब्रिगेड के कार्यालय की भूमि का नियमानुसार हस्तांतरण कराकर वहॉ मल्टी स्टोरीड पार्किंग स्थल विकसित करे।

२. उपरोक्त निर्णय के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन व उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टी लेविल पार्किंग काम्पलेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। हजरतगंज कोतवाली की कुल भूमि ९१५१ वर्ग मीटर है, जिस पर वर्तमान में कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा कुछ पुलिस विभाग के अन्य कार्यालय स्थित हैं।

३. प्राधिकरण द्वारा परियोजना की प्रारम्भिक कनसेप्चुअल डिजाइन तैयार करायी गई है एवं प्रारम्भिक रूप से परियोजना की इक्नामिक्स निकाली गई है। तैयार किये गये कन्सेप्ट के अनुसार इस भूमि पर भू-तल से नीचे तीन तल पर पार्किंग, भूतल व प्रथम तल पर दुकानें तथा द्वितीय व तृतीय तल पर कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। बेसमेन्ट में कुल ७१५ कारों हेतु पार्किंग, भूतल व प्रथम तल पर कुल ५० दूकानों हेतु लगभग १२३२६ वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्रफल तथा द्वितीय व तृतीय तल पर कुल १२७०२ वर्ग मीटर क्षेत्रफल कार्यालय हेतु उपलब्ध होगा।

उपरोक्त निर्माण पर कुल रु० ७७.०० करोड़ का व्यय ऑकलित है, जिसमें भूमि जो कि नजूल की है, की लागत जिलाधिकारी सर्किल रेट रु० २०,०००/- प्रति वर्ग मीटर की दर से रु० १८.३० करोड़ की धनराशि जोड़कर परियोजना की कुल लागत रु० ९५.३० करोड़ होती है। भूतल व प्रथम तल पर दुकानो तथा द्वितीय व तृतीय तल पर कार्यालय की बिक्री से कुल रु० १२७.६४ करोड़ की आय ऑकलित की गई है। पार्किंग के ठेके आदि से जो धनराशि प्राप्त होगी वह पार्किंग लाट के रख-रखाव में व्यय होगा, अतः इस मद में कोई शुद्ध आय सम्मिलित नहीं

मुख्य ... कारक
लखनऊ ... करण
लखनऊ

की गई है, परन्तु १४३ कार का पार्किंग स्थल दुकानदारों को बेचा जाना प्रस्तावित है। रु० २.०० लाख प्रति कार पार्किंग की दर से इस विक्री से रु० २.८६ करोड़ की और आय होगी। इस प्रकार कुल आय रु० १३०.८० करोड़ आँकलित की गई है।

४. महायोजना-२०२१ के अनुसार प्रश्नगत स्थल का एफ.ए.आर. १.२० तथा अधिकतम ऊँचाई १२.५० मीटर है। वर्तमान में प्रश्नगत कुल भूखण्ड के क्षेत्रफल ६१५१ वर्ग मीटर में से ४६३३ वर्ग मीटर पर भवन निर्मित है। अतः ४६३३ वर्ग मीटर भू-आच्छादन मानकर भूतल से तीन तल नीचे पार्किंग तथा भूतल एवं उससे ऊपर के तीन तलों पर दुकानें व कार्यालय भवन का प्रस्ताव बनाया गया है। इसके अनुसार २.७४ एफ.ए.आर. प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि यदि अनुमन्य १.२० एफ.ए.आर. के आधार पर पार्किंग विकसित किया जायेगा तो तीनों बेसमेन्ट में कुल ३०० तथा भूतल के रिक्त स्थान पर १०५ अर्थात कुल ४०५ कार तथा ३३० दो पाहिया वाहन के लिए पार्किंग, ५० दुकानों हेतु कुल ४६५० वर्ग मीटर क्षेत्र तथा द्वितीय व तृतीय तल पर कार्यालय हेतु कुल ४६५० वर्ग मीटर का स्थान प्राप्त होगा। इसके आधार पर इसकी निर्माण लागत रु० ५०.०० करोड़ तथा भूमि की लागत मिलाकर कुल रु० ६८.३० करोड़ होती है एवं दुकान तथा कार्यालय भवन की विक्री से रु० ४६.८८ करोड़ की आय आँकलित है।

५. जनपथ मार्केट/सचिवालय में दारूलशफा की ओर से वर्तमान में १२८० वर्ग मीटर का एक भूभाग स्थित है, जिस पर वर्तमान में कारों की पार्किंग होती है। वर्तमान में यह भूभाग पार्किंग हेतु अपर्याप्त होने के कारण प्रायः ही उसके सम्मुख स्थिति सड़क पर जाम लगा रहता है। अतः जनपथ के सम्मुख स्थित भूखण्ड के भूतल पर तथा उसके नीचे तीन बेसमेन्ट तलों पर पार्किंग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। इस परियोजना में भूमि के नीचे के तीन तलों को दारूलशफा तथा जनपथ के बीच की सड़क के नीचे अन्दर से बेसमेन्ट बनाकर सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे योजना का कुल क्षेत्रफल २६००.०० वर्ग मीटर तथा भूतल के नीचे तीनों तलों पर कुल निर्मित क्षेत्रफल ६६५०.०० वर्ग मीटर होगा। जनपथ की इस पार्किंग में कुल २३८ कार एवं १२० दो पाहिया वाहनों के लिए स्थान उपलब्ध होगा। इस परियोजना पर कुल रु० १७.०० करोड़ का व्यय आँकलित है। पार्किंग की नीलामी आदि से जो धनराशि प्राप्त होगी उसे रख-रखाव के लिए व्यय किया जायेगा। अतः इसे सम्भावित शुद्ध आय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

६. हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन आदि को बाल्मीकि मार्ग पर स्थिति महानिदेशक, कारागार कार्यालय में शिफ्ट किया जाना है। कोतवाली, महिला थाना तथा फायर स्टेशन की आवश्यकता के अनुरूप महानिदेशक, कारागार कार्यालय भवन में आंशिक रूप से आवश्यकतानुसार कुछ परिवर्तन व परिवर्धन किये जाने की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः इन कार्यों के लिए एकमुश्त रु० ३.०० करोड़ की धनराशि सम्मिलित की गई है।

७. उपरोक्त तीनों परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए परियोजना की कुल लागत (कोतवाली की भूमि की लागत को सम्मिलित करते हुए) रु० ११५.३० करोड़ आँकलित है तथा दुकानों व कार्यालय स्थान के विक्रय से कुल रु० १३०.८० करोड़

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

की धनराशि की आय आंकलित की गई है। इस प्रकार परियोजना में कुल रु० १५.५० करोड़ का शुद्ध आय परिलक्षित होता है।

८. वर्तमान में भू-आच्छादन के आधार पर कुल निर्मित क्षेत्रफल तथा अनुमन्य एफ.ए.आर १.२० के आधार पर उपरोक्त परियोजना की अलग-अलग इक्नामिक्स निकाली गई है, जो छः पृष्ठों में संलग्न की जा रही है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि यह परियोजना वर्तमान में स्थल पर स्थित भू-आच्छादन के आधार पर क्रियान्वित की जाती है तो इसमें तीनों परियोजनाओं (कोतवाली, जनपथ पार्किंग तथा महानिदेशक, कारागार के भवन में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन) का वित्त-पोषण होता है एवं कुल रु० १५.५० करोड़ की शुद्ध होती है। इस प्रकार यह आर्थिक दृष्टि से 'वायबुल' है।

यदि अनुमन्य ३० प्रतिशत भू-आच्छादन तथा १.२० एफ.ए.आर. के आधार पर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाता है तो केवल कोतवाली की परियोजना में रु० २१.४२ करोड़ की कमी पड़ेगी। जनपथ पार्किंग तथा महानिदेशक, कारागार के भवन में आवश्यक परिवर्तनव परिवर्द्धन सम्मिलित करने पर यह कमी बढ़कर रु० ४०.४२ करोड़ हो जायेगी।

९. परियोजना का क्रियान्वयन पी.पी.पी. के माध्यम से करने के लिए परियोजना का आर्थिक दृष्टि से वाय्बुल होना आवश्यक है। वर्तमान अनुबन्य एफ.ए.आर. १.२० के आधार पर परियोजना वायबुल नहीं रहती है। प्रश्नगत परियोजना जनहित की परियोजना है, अतः परियोजना को इकनामिक रूप से वायवुल रखने के उद्देश्य से एफ.ए.आर. तथा ग्राउन्ड कवरेज बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

१०. दिनॉक ०७.०८.०७ को मंत्रिमंडलीय सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में परियोजना का कन्सेप्ट प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बैठक में सचिव, शहरी समग्र विकास, उ.प्र. शासन द्वारा अवगत कराया गया था कि लखनऊ तथा कानपुर नगर की अवस्थापना परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से आई.डी.एफ.सी. को कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया गया है। शहरी समग्र विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा आई.डी.एफ.सी. को कन्सल्टेन्सी हेतु कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है एवं अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। अतः प्रश्नगत पार्किग परियोजना के कन्सल्टेन्सी का कार्य आई.डी.एफ.सी. द्वारा किया जायेगा। आई.डी.एफ.सी. से अनुरोध किया जाना है कि इस परियोजना पर वे तत्काल अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करा दें। आई.डी.एफ.सी. द्वारा परियोजना की इकनामिक वायविल्टी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के पश्चात परियोजना को पी.पी.पी. योग्य बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उनकी संस्तुति पर आवश्यक एफ.ए.आर. तथा ग्राउन्ड कवरेज पर अन्तिम निर्णय लिया जाना उचित होगा। लखनऊ नगर की अवस्थापना विकास परियोजनाओं हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित करने के लिए शासन से अनुरोध किया गया है।

प्रस्तावः

उपरोक्त के दृष्टिगत प्राधिकरण के समक्ष निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैः-

१. हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन व इससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टी लेविल पार्किंग एवं काम्पलेक्स का निर्माण, जनपथ के सम्मुख भूतल के नीचे

मुख्य नगर नियोजक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

तीन तलों (सड़क की भूमि के नीचे भी) पर पार्किंग का निर्माण करने एवं महानिदेशक, कारागार के कार्यालय व आवासीय भवनों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्धन किया जाना।

२. परियोजना के लिए कन्सलटेन्सी का कार्य आई.डी.एफ.सी. द्वारा करने, आई.डी.एफ.सी. से अधिकतम एक माह में परियोजना की वायबिल्टी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, परियोजना पी.पी.पी. योग्य तैयार कराने व डी.पी.आर. आदि तैयार कराने का कार्य।

नगर नियो[illegible] मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विका[illegible]

SHOPPING MALL AND MULTILEVEL UNDER GROUND PARKING PLAZA AT HAZARATGANJ KOTWALI, LUCKNOW

SALIENT FEATURES

Plot Area	9151.00 Sqm.	
Total Built Up Area	47563.00 Sqm.	(FAR 2.75)
Floor Description	4 Storied structure with three basement	

Sl. No.	Items	Total Area (sq.m.)	Usage	No of Car Parking
1	Third Basement Parking	7400.00	Parking	240
2	Second Basement Parking	7435.00	Parking	235
3	First Basement Parking	7700.00	Parking	240
4	Ground Floor	6351.00	Shops	
5	First Floor	5975.00	Shops	
6	Second Floor	6351.00	Office	
7	Third Floor	6351.00	Office	

Schedule Of Shops

Shop Size	G.F.	F.F	Total
12x20	2	2	4
8x16	4	4	8
8x14.5	14	14	28
8x12	4	6	10
Total No. of Shops	**24**	**26**	**50**

Facilities

Escalator	2 No.	From Ground Floor to First Floor
Lift	2 No.	From Ground Floor to Second and Third Floor
Toilet	2 Set	Left and Right Portion of the block on every Floor
	1 Set	Below Ground Public Toilet for Visitor to Hazrat Ganj Area
Fire Escape	2 No.	As per NBC Norms of travel Distance
Air Conditioning Central	750 Ton	Ground and First Floor Only
Mechanical Ventilation		In Basements only at all Levels

Parking Schedule

		Facilities
Basement 1	240	4 Lift from basement levels to G.F.
Basement 2	235	2 Fire Escape
Basement 3	240	Two Entry Ramps
Total	**715**	Two Exit Ramps

-2-

नवीन कुमार सिंह
अधिशासी अभियन्ता जोन-12
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

ECONOMICS

-2-

Three Basement, Ground Floor and First Floor: Shopping ,Second Floor and Third Floor : Office

Cost of Construction	Rs. 77.00 Cr.
Land Cost (9151X20000)	Rs. 18.30 Cr.
Total Cost	**Rs. 95.30Cr.**

Estimated Revenue from Selling of Commercial Area on Super Area Basis

		Area (Sqm)	Rate Per Sqm	Revenue In Rs.
a	Ground Floor Commercial	6351.00	85000.00	Rs. 539,835,000.00
b	First Floor Commercial	5975.00	60000.00	Rs. 358,500,000.00
c	Second Floor Office	6351.00	35000.00	Rs. 222,285,000.00
d	Third Floor Office	6351.00	25000.00	Rs. 158,775,000.00
e	Sale of extra 143 car parking to shop owners		200,000.00 per parking	Rs.2.86.00.000.00
	Total Revenue			**Rs. 1,30,79,59,000.00**
			Say	**Rs. 130.80Cr.**

Special Note:

1. Market assessment reveals that shops are sold at following rates at Shahnajaf Road & Rana Pratap Marg
   Ground Floor Rs. 85000.00 per Sqm Average
   First Floor Rs. 60000.00 per Sqm Average
2. No Exit has been proposed from Fire station side to avoid Congestion at Hazrat Ganj Crossing
3. Entry for Cars to Parking from Gandhi Ashram and Fire Station Road Side
4. Exit is Proposed only from Kotwali Parking Side.
5. Under ground Toilet near Hazrat Ganj Road with direct access from basement as well as road level
6. The access to this toilet can also be clubbed with future sub way
7. Direct Ramp has been provided from second and First basement for safety reasons
8. Electronic Parking access system, CCTV and boom barriers are proposed for safety and security of the project

Operation And Maintenance Cost of Shopping Mall	**Rs. 12.00 Lac**	Per Month
This cost is to be recovered as maintenance cost from the shop owners		
Estimated Revenue From Parking	Rs. 19.00 Lac	Per Month
O and M Cost of Basement Parking	Rs. 05.00 Lac	Per Month
Thus net surplus from Parking	**Rs 14.00 Lacs**	**Per Month**

-3-

मनीष कुमार सिंह
अधिशासी अभियन्ता ज़ोन-12
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण

MULTILEVEL UNDER GROUND PARKING PLAZA
AT
JANPATH LUCKNOW

SALIENT FEATURES

Plot Area 1280.00 Sqm

Scheme Area 2900.00 Sqm

Floor description Three level under ground structure

Sl. No.	Items	Total Area (sqm)	No of Car Parking
	Built Up area Basement Parking		
1	Level One	2900.00	78
2	Level Two	2900.00	78
3	Level Three	2900.00	82
4	Ground Floor	1250.00	30
	Total built Up area	**9950.00**	

Estimated Cost Of The Project **Rs. 17.00 Cr.**

Facilities

Lift	2 No.	From Ground Floor to First, Second and Third Floor
Toilet	2 Set	Left and Right Portion on ground floor
Fire Escape	2 No.	As per NBC Norms of travel Distance
Mechanical Ventilation		In Basements only at all Levels
		One way Entry and Exit for Cars to Parking

Parking Schedule

	Car	Scooter	Facilities
Basement 1	78	40	4 Lift from basement levels to G.F.
Basement 2	78	40	2 Fire Escape
Basement 3	82	40	One Entry Ramp
Total	**238**	**120**	One Exit Ramp

ECONOMICS

Three level Basement **Construction Cost** **Rs. 17.00 Cr.**

-4-

मनीष कुमार सिंह
अधिशासी अभियन्ता जोन-12
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

Special Note:

25% Car Parking Reserved For Secretariat Staff
75% for Public Usage
Ground Floor Reserved Exclusively for Secretariat Cars
Architecture of the ground floor structure matching architecture of Old Traditional Hazrat Ganj

Estimated Revenue From Parking	Rs. 7.00 Lac/month
O and M Cost of Basement Parking	Rs. 2.00 Lac/month
Thus net surplus from parking	**Rs. 5.00 Lac/month**

REHABILITATION OF KOTWALI, MAHILA THANA AND FIRESTATION AT DG PRISION PREMISES AT BALMIKI MARG, LUCKNOW

SALIENT FEATURES

PLOT AREA	**2.00 Acre**
Remodeling existing structure as per new requirement	**Rs. 3.00 Cr.**

Note: Existing building is Insufficient to accommodate Kotwali, Mahila Thana , Fire Station

SUMMARY OF COSTING

Estimated Cost Of The Project

Shopping cum Multi level Parking Complex at Hazratganj Kotwali	Rs. 77.00 Cr.
Janpath Underground Multi Level Parking Complex	Rs. 17.00 Cr.
Rehabilitation Cost of Hazratganj Kotwali at DG Prison Premises	Rs. 03.00 Cr.
Cost of Land	Rs. 18.30 Cr
Total Project Cost	**Rs. 115.30 Cr.**
Revenue Generation	**Rs. 130.80 Cr.**
NET SURPLUS	**Rs. 15.50 Cr.**

EQUITY RATIO

Equity ratio of Govt./LDA to Private Sector	**1 : 5.30**

-5-

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

SHOPPING MALL AND MULTILEVEL UNDER GROUND PARKING PLAZA
AT
HAZARATGANJ KOTWALI, LUCKNOW

SALIENT FEATURES

Total Area	9151.00 Sq.Mt.	
Constructed Area	24657.00 Sq.Mt.	(FAR 1.20)
Configuration	4 STORIED STRUCTURE WITH THREE BASEMENT	

Schedule Of Shops

Shop Size	G.F.	F.F	Total	Facilities
8x12	4	4	8	2 Escalators from GF to FF
9x10	2	2	4	Central Air Conditioning of GF & FF
8x9	8	6	14	2 Lifts from GF to SF & TF
6.5x7.5	4	14	18	Fire Escape as per NBC norms
Total	**18**	**26**	**44**	

Parking Schedule

	Cars	Scooters	Facilities
Surface	105		4 Lift from basement levels to G.F.
Basement 1	100	150	2 Fire Escape
Basement 2	100	70	Two Entry Rams
Basement 3	100	110	Two Exit Ramps
Total	**405**	**330**	

ECONOMICS

Cost Of Construction		**Rs. 50.00 Cr.**
Land Cost	(9151x20000)	**Rs. 18.30 Cr.**
Revenue Generation		**Rs. 46.88Cr.**

PLANNING FEATURES:

1. No Exit has been proposed from Fire station side to avoid Congestion at Hazrat Ganj Crossing
2. Entry for Cars to Parking from Gandhi Ashram and Fire Station Road Side
3. Exit is Proposed only from Kotwali Parking Side.
4. Under ground Toilet near Hazrat Ganj Road with direct access from basement as well as road level
6. The access to this toilet can also be clubbed with future sub way
7. Direct Ramp has been provided from second and First basement for safety reasons
8. Electronic Parking access system, CCTV and boom barriers are proposed for safety and security of the project

-6-

मनीष कुमार सिंह
अधिशासी अभियन्ता जोन-1[illegible]
लखनऊ विकास प्राधिकरण

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विक[illegible] प्राधिकरण
लखनऊ

विषय संख्या: 9 पृष्ठ संख्या–

दिनांक 13.08.2007 को बोर्ड बैठक में गोमती नगर विस्तार योजना के विद्युतीकरण हेतु पुनरीक्षित बजट के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना की परिकल्पना वर्ष 1995-96 में की गयी थी तथा वर्ष 2000 में इस परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तदोपरान्त उक्त परियोजना के सेक्टर-1, 4, 5 व 6 में वर्ष 2004-05 में लगभग 4000 भूखण्ड का आवंटन किया गया।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण को इन आवंटित भूखण्डों का कब्जा भी वर्ष 2006 तक दिया जाना था प्रन्तु विकास न हो पाने के कारण अभी तक उक्त आवंटियों का पंजीकरण एवं कब्जा नहीं दिया जा सका। वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत गोमती नगर विस्तार योजना के कुछ भाग विवादास्पद होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया हैं। उक्त आदेशों के क्रम में गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर- 2, सेक्टर-2 ए और 3 जिसके अन्तर्गत विभोर, व्योम तथा विनायक खण्ड आते है। माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश के कारण विकास कार्य अवरूद्ध है, जिन को संलग्न मानचित्र पर चिन्हित कर दिया गया है।

गोमती नगर विस्तार योजना में कुछ 11 के0वी0 लाईनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे इस स्थल पर विकास कार्य हेतु आवश्यक विद्युत उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त गोमती नगर विस्तार सेक्टर-1, 4, 5 व 6 जिसके अन्तर्गत विदर्भ खण्ड, वरदान खण्ड, वसन्त खण्ड तथा वैष्णव खण्ड आते हैं, में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण के लिए वर्ष 2006 में निविदाएं भी आमंत्रित की गयी थी। परन्तु प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने के फलस्वरूप उन निविदाओं को निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त उल्लिखित परिस्थितियों में गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-1, 4, 5 व 6 का विद्युतीकरण का कार्य अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है जिसके लिए इस क्षेत्र के विकास कार्य हेतु मेसर्स जायसवाल एसोसिएट्स द्वारा वर्ष 2004 में तैयार की गयी परियोजना के अनुरूप नीचे दिये गये विवरण के अनुसार व्यय अनुमानित है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	व्ययानुमान धनराशि लाख में
1.	सेकटर-1 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण	रू0 2529.79
2.	सेकटर-4 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0	रू0 3147.44

	सब-स्टेशन का निर्माण	
3.	सेकटर-5 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण	रू0 1317.33
4.	सेकटर-6 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण तथा सेक्टर-1 ,4 ,5 व 6 में स्ट्रीट लाईट का कार्य।	रू0 1074.26

उपरोक्त विवरण के अनुसार गोमती नगर विस्तार योजना सेक्टर-1, 4, 5 व 6 तक कुल लगभग रू0 8068.82 लाख मात्र का व्यय अनुमानित है। विद्युतीकरण के सम्बन्ध लिए गये निर्णय के अनुसार इन सेक्टरों का विद्युतीकरण कार्य एक वर्ष में समाप्त किया जाना है। वर्ष 2007-08 के बजट के अन्तर्गत गोमती नगर विस्तार योजना के वाह्य विद्युतीकरण हेतु केवल रू010.00 करोड़ का प्राविधान किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रस्तावित सेक्टर के अन्तर्गत 80 प्रतिशत का व्यय होना अनुमानित है। अवशेष लगभग 20 प्रतिशत कार्य वित्तीय वर्ष 2008-09 में किया जायेगा। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर- 1,4, 5 व 6 के विद्युतीकरण हेतु कम से कम रू0 60.00 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित बजट में गोमती नगर विस्तार के विद्युतीकरण हेतु रू0 60.00 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान प्राधिकरण बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

सचिव/उपाध्यक्ष

कृपया पूर्व पृष्ठ पर गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर- 1, 4, 5 व 6 के विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित निविदा के सन्दर्भ में पूर्व पृष्ठ संख्या-33 व 34 पर उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश का अवलोकन करने का कष्ट करें,: जिसमें उनके द्वारा अपेक्षा की गयी है कि विद्युतीकरण के कार्यो की निविदाएं सेक्टर वाईज चार भागों में आमंत्रित की जाय जिससे कार्यो को शीघ्र पूरा किया जा सके तथा यह भी निर्देश दिये है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में. प्राधिकरण के बजट में गोमती नगर विस्तार योजना के विद्युतीकरण के मद के अन्तर्गत केवल रू0 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया है। अतः इस वर्ष के बजट को पुनरीक्षित बजट में इस मद के अन्तर्गत आवश्यक धनराशि का प्राविधान कर लिया जाय तथा इस कार्य हेतु प्रस्ताव आगामी 13 अगस्त, 2007 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

उल्लेखनीय है कि गोमती नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में सेक्टर-1, 4, 5 एवं 6 में विद्युतीकरण हेतु मेसर्स जयसवाल एसोसिएट्स के माध्यम से परियोजना तैयार करायी गयी थी परियोजना के अन्तर्गत गोमती नगर के अन्तर्गत उल्लिखित सेक्टरों में निम्नलिखित व्यय अनुमानित है:-

क्र0सं0	कार्य का विवरण	व्ययानुमान धनराशि लाख में
1.	सेकटर-1 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण	रू0 2529.79
2.	सेकटर-4 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण	रू0 3147.44
3.	सेकटर-5 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण	रू0 1317.33
4.	सेकटर-6 में विद्युतीकरण एवं आवश्यक 33/11 के0वी0 सब-स्टेशन का निर्माण तथा सेक्टर-1 ,4 ,5 व 6 में स्ट्रीट लाईट का कार्य।	रू0 1074.26

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि गोमती नगर विस्तार योजना में प्रस्तावित विद्युतीकरण विगत एक वर्ष के अन्दर पूरे किये जाने का प्राविधान कर लिया जाय।

उपरोक्त स्थित में इस वित्तीय वर्ष में उपरोक्त कार्य पर कुल अनुमानित धनराशि का 80 प्रतिशत कार्य की लागत का प्राविधान पुनरीक्षित बजट में किया जाना होगा जिसके लिए प्राधिकरण बोर्ड को विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का प्रस्ताव सम्मुख

पृष्ठ पर संलग्न है। कृपया प्रस्ताव को दिनांक 13.08.07 की बोर्ड बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-1, 4, 5 व 6 के विद्युतीकरण के उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करने के उद्देश्य से निविदा सूचना एवं निविदाओं के प्रारूप तैयार कर दिये गये हैं। चूंकि कार्य में पूर्व में ही बिलम्ब हो चुका है। अतः उक्त कार्य की धनराशि का प्राविधान पुनरीक्षित बजट में किये जाने की प्रत्याशा में उपरोक्त दिये गये विवरण के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का भी कष्ट करें।

उपाध्यक्ष, ल० वि० प्रा०
फाइल सं०......1271
दिनाँक............
संलग्नक.........3.8.07
गोमती नगर

(रवि श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0)

कार्यालय
पत्रावली संख्या 785/सचिव
संलग्नक......
दिनाँक 4.8.07

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

approved. Board note needs amendments as suggested.

(हरभजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

C.E (E&M)

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सचिव /उपाध्यक्ष

कृपया गत पृष्ठ-37 पर उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 13.8.07 को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

अवलोकनार्थ प्रेषित।

(रवि श्रीवास्तव)
[illegible] (सि0/या0)
[illegible]
[illegible]

पु0 वा0: निविदा की सूचना को प्रकाशन हेतु, जनसम्पर्क अधि0 को पत्र भेजा दिया गया है। तथा निविदा प्रपत्र एवं निविदा सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के लिये भी सम्बन्धित को निर्देशित कर दिया गया है।

अवलोकनार्थ

[illegible]
मुख्य अभियन्ता (सि0/या0)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

सचिव / उपाध्यक्ष,

(मुकेश [illegible])
लखनऊ [illegible] प्राधिकरण

6/8/07

विषय संख्या: 10

विषयः लखनऊ की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी आदि के लिए कन्सल्टेन्ट आबद्ध करने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ मेट्रोपोलिटन क्षेत्र का अर्बन डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नियोजकों/नियोजन संस्थाओं/अर्बन डिजाइनर्स, आर्कीटेक्ट व संस्थानों से 'ग्लोबल एक्प्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट' आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञापन के क्रम में कुल २३ कल्सल्टेन्ट्स के 'एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट' प्राप्त हुए हैं, जिन पर वर्तमान में निर्णय स्थगित किया गया है

२. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर में कुछ सूचीबद्ध अवस्थापना सुविधाओं का प्रस्तुतीकरण दिनॉक ०७.०८.२००७ को मंत्रिमंण्डीय सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में किया गया था। सूचीबद्ध परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण संलग्न किया जा रहा है। बैठक में सचिव, शहरी समग्र विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा अवगत कराया गया था कि लखनऊ नगर की अवस्थापना सुविधाओं के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से आई.डी.एफ.सी. को कन्सल्टेन्ट नियुक्त किया गया है। शहरी समग्र विकास विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा आई.डी. एफ.सी. को कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है एवं अग्रिम भुगतान भी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण द्वारा लखनऊ नगर में अवस्थापना विकास की सूचीबद्ध परियोजनाओं पर आई.डी. एफ.सी. से विस्तृत अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडीज, परियोजनाओं को पी.पी.पी. माण्डल के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से बायवुल बनवाना, डी.पी.आर. तैयार कराने, डी.पी.आर. पर अनुमोदन कराने तथा इसके उपरान्त निजी क्षेत्र का चयन कराने एवं प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट एवं सुपरवीज़न हेतु आई.डी. एफ.सी. को कार्य सौंपने का प्रस्ताव है।

३. लखनऊ की अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित करने हेतु शासन से अनुरोध किया गया है।

<u>प्रस्ताव</u>

उपरोक्त के दृष्टिगत लखनऊ नगर में प्राधिकरण द्वारा चयनित अवस्थापना विकास परियोजनाओं की कन्सल्टेन्सी आई.डी.एफ.सी. से कराने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक
ल० वि० प्रा०

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ

C:\Documents and Settings\lda\7lda\Desktop\Agenda LDA Board.doc

संलग्नक-

लखनऊ नगर में अर्बन ट्रांसपोर्ट एवं ट्रॉजिट परियोजनाओं की संक्षिप्त सूची एवं विवरण

१. लखनऊ नगर की आउटर रिंग रोड तथा आरटरीज

२. लखनऊ नगर के लिए रिंग रेलवे/मैट्रो

३. वैकल्पिक पार्किंग स्थलों का विकास :

i) हजरतगंज कोतवाली व इसके सम्मुख खुले स्थान को सम्मिलित करते हुए लगभग २.०० एकड़ भूमि पर भूमिगत तीन तलों पर पार्किंग, भूतल व प्रथम तल पर शापिंग व द्वितीय एवं तृतीय तल पर कार्यालय हेतु स्थान बनाया जायेगा। व्यावसायिक व कार्यालय स्थल के विक्रय से परियोजना के वित्त पोषण का प्रस्ताव है।

इस स्थान पर स्थित हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना व फायर स्टेशन को महानिदेशक, कारागार कार्यालय के वर्तमान परिसर (बाल्मीकी मार्ग) पर शिफ्ट किया जायेगा। महानिदेशक, कारागार कार्यालय जेल परिसर अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित है।

ii) जनपथ मार्केट के पीछे खुले स्थान व सड़क को सम्मिलित करते हुए भूमिगत तीन तलों पर पार्किंग का निर्माण किया जायेगा। परियोजना का वित्त पोषण अवस्थापना विकास निधि से प्रस्तावित है।

४. रेल उपरिगामी सेतु (आर.ओ.बी.) :

लखनऊ नगर के विस्तार के फलस्वरूप नगर के मध्य से जाने वाली रेलवे लाइनों के दोनों ओर आवासीय योजनाओं का विकास हुआ है, इन योजनाओं से आने वाले यातायात को रेलवे लाइनों को पार कर आना पड़ता है। यातायात की सुगमता के दृष्टिकोण से उत्तर रेलवे व पूर्वोत्तर रेलवे लाइनों पर निम्न स्थानों पर आर. ओ. बी. निर्मित किये जाने की आवश्यकता है।

i) बिजनौर रोड पर डा. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सीमा के पास

ii) डालीगंज-निरालानगर

iii) पुरनिया चौराहा, अलीगंज

iv) आलमबाग चौराहा से राजाजीपुरम् की ओर दो स्थानों पर

v) गोमती नगर में गोमती नदी के बाये तटबन्ध और लखनऊ-बाराबंकी उत्तर रेलवे लाइन की क्रासिंग पर।

६. उपरिगामी सेतु (फ्लाई ओवर)

लखनऊ नगर की सीमाओं में विस्तार व नई आवासीय योजनाओं के विकास के फलस्वरूप नगर के व्यवसायिक क्षेत्र हजरतगंज, चारबाग पर यातायात का अत्यधिक दबाव हो गया है। इन क्षेत्रों में यातायात की सुगमता के दृष्टिगत निम्न स्थानों पर उपरिगामी सेतुओं के निर्माण की की आवश्यकता है।

i) हुसैनगंज (बर्लिंगटन) चौराहा-राणाप्रताप चौराहा, स्टेशन रोड

ii) सिकन्दरबाग चौराहा, अशोक मार्ग

iii) चारबाग-मवैया

iv) आई.टी. चौराहा

v) चारबाग- मेडिकल कालेज-एलीवेटेड रोड

७. सब-वे

वाहन यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण व्यस्त मार्गो पर पद यात्रियों के लिए चलना अत्यंत कठिन हो गया है। पैदल यात्रियों के निरापद गमनागमन हेतु निम्न व्यस्त स्थानों पर भूमिगत पैदल पार पथ (सब वे) के निर्माण की आवश्यकता है।

i) बापू भवन

ii) जनपथ मार्केट, हजरतगंज

iii) हजरतगंज-इलाहाबाद बैंक चौराहा

iv) हलवासिया मार्केट

v) शक्ति भवन, अशोक मार्ग

vi) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय

vii) हनुमान सेतु- लखनऊ विश्वविद्यालय

viii) चारबाग

७. सरफेस मेट्रो

व्यस्त सड़कों पर भरोसेमंद द्रुतगामी यातायात व्यवस्था की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। इस दिशा में उपनगरीय यातायात हेतु नगर बसों की परिचालन से समस्या का प्रभावी निदान नहीं हुआ है। अतः सतह मैट्रो की परिकल्पना पर विचार किया जा सकता है।

८. के.के.सी. सब वे का सुधार

९. कैसरबाग बस अड्डा का अन्यत्र स्थानान्तरण।

१०. सिविल कोर्ट के सम्मुख स्थित रोडवेज वर्कशाप का अन्यत्र स्थानान्तरण।

११. नगर में अवस्थापना सुविधाओं हेतु अर्बन मास ट्रान्जिट कम्पनी लि० (यू.एम.टी.सी.) को आबद्ध करने पर विचार।

भारत सरकार के परिपत्र दिनांक २६.०३.०७ के क्रम में लखनऊ नगर में अर्बन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम के अन्तर्गत अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यो जैसे सड़को का चौड़ीकरण, आर.ओ.बी., फ्लाई ओवर, सब-वे, मल्टी लेविल पार्किंग तथा अन्य कार्यो हेतु प्रोजेक्ट कन्सेप्च्यूलाईजेशन से लेकर प्रोजेक्ट सुपरविजन तक के कार्यो हेतु अर्बन मास ट्राजिट कम्पनी लि० (यू.एम.टी.सी.) को आबद्ध करने पर विचार।

१२. अन्य विषय

विषय : जानकीपुरम् विस्तार योजनान्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित 23 पट्टेरदारों की भूमि का समायोजन कर आवंटित भूमि के बदले आवासीय भूमि दिये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

जानकीपुरम् विस्तार योजनां के अन्तर्गत सेक्टर–8 एवं इसके सम्मुख स्थित 30 मी0 चौड़ी सड़क के एक साइड के आंशिक भाग में पड़ने वाले गांव वालों को आवंटित पट्टे की भूमि का निस्तारण न होने के कारण सेक्टर–8 के भूखण्ड सं0 286 से 291 व 270 से 275 तक के भूखण्डों का स्थल पर कब्जा आवंटियों को देना संभव नहीं हो पा रहा है। साथ ही सीवर लाइन एवं स्टार्म वाटर ड्रेन की कनेक्टविटी भी नहीं हो पायी है। पट्टे धारकों के कब्जे की भूमि पर प्राधिकरण के उक्त 12 भू–खण्ड सृजित हैं जिनका मूल्य (आवंटन के समय की दर) दर रू0 3000/– प्रतिवर्ग मी0 से कुल रू0 72.00 लाख है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम खरगापुर जागीर भिठौली खुर्द व मुईनुद्दीनपुर की भूमि पर कब्जा किसानों से आपसी समझौते के आधार पर प्राप्त करने हेतु वर्ष 1996 में प्राधिकरण व किसानों के मध्य समझौता हुआ था। इस संबंध में प्रस्ताव प्राधिकरण वोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति दांयी ओर संलग्न हैं। प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 2 के बिन्दु सं0 4 में निम्न प्रस्ताव अंकित किया गया था :–

प्रश्नगत गांवों में धार्मिक स्थलों आवास स्थलों, जिनका आवंटन ग्राम सभा द्वारा पूर्व में विधिवत् पट्टे पर किया गया, का समायोजन किया जायेगा। ग्राम पंचायत की जो भूमि अधिग्रहित की जायेगी उसके प्रतिकर का भुगतान पंचायत को किया जाएगा। प्रश्नगत गांव की अधिग्रहित भूमि के बीच में जो भूमि पड़ती हो तथा उसका अभी अधिग्रहण नहीं किया गया हो उसे अधिग्रहीत करके निमयानुसार समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किया जाएगा।''

उक्त प्रस्ताव पर निम्न निर्णय लिया गया था :–

''प्रस्ताव की सैद्धान्तिक सहमति इस निर्देश के साथ प्रदान की गयी कि समझौते द्वारा निर्धारित मूल्य सबसे अच्छी श्रेणी की भूमि पर लागू होगा। इस दृष्टि से उपाध्यक्ष द्वारा निर्देशित अधिकारियों की एक समिति प्रत्येक मामलों की समीक्षा करके व भूमि की श्रेणी/स्थिति तथा मूल एवार्ड में निर्धारित धनराशि की समीक्षा करके, अनुपातिक कटौती प्रस्तावित करेगी, जिसके अनुसार भुगतान किया जाएगा।''

निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी थी। इसके साथ साथ मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य निर्देश दिए गए थे जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्ताव के बिन्दु सं0 1 से 5 तक सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हुआ किन्तु सं0 4 में प्रश्नगत विषय ग्रामपंचायत की भूमि जिसका आवासीय पट्टा किया गया था, के समायोजन का है।

ग्राम सभा की वह भूमि जिसका कब्जा प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वह दांयी ओर संलग्न योजना के तलपट मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित है तथा जो भूमि इसके स्थान

(आर० के० शुक्ला)
अधिशासी अभियन्ता जोन-10

विवेक पाण्डेय
संयुक्त सचिव
ल० वि० प्रा० लखनऊ

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पर पट्टेदारों को दी जानी है वह हरे रंग से प्रदर्शित है। पट्टे धारकों को दी जाने वाली भूमि का नियोजित मानचित्र संलग्न है।

अतवगत कराना है कि यह क्षेत्र अभी तक नगर निगम सीमा में नहीं है, जिसके कारण ग्राम सभा की सम्पत्ति नगर निगम में निहित नहीं हुई है बल्कि उसका प्रबंधन ग्राम–सभा द्वारा किया जा रहा है। अतः नगर निगम का कोई क्लेम होने का औचित्य नहीं है। इस संबंध में ग्राम वासियों/पट्टेदारों द्वारा यह मांग की जा रही है कि पट्टे की भूमि के बदले में अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर आवास हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराया जाए। समझौते के आधार पर भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में वर्ष 1996 में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि जो भूमि दी जाएगी वह कुल भूमि की 60 प्रतिशत होगी तथा विकास शुल्क लिया जाएगा जबकि पट्टे धारकों का कहना है कि पट्टे धारक गरीब निर्बल आय वर्ग तथा अधिकांश अनुसूचित जाति के है तथा प्राधिकरण द्वारा उनकी 40 प्रतिशत भूमि भी ली जा रही है अतः विकास शुल्क न लिया जाये तथा निबन्धन पर होने वाला व्यय प्राधिकण द्वारा वहन किया जाये।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पट्टे की भूमि की जांच सम्बंधित तहसीलदार द्वारा की जा चुकी है तथा आवंटित भूमि की स्वीकृति परगनाधिकारी से प्राप्त है। पट्टेदारों को सरकार द्वारा निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। चूंकि प्राधिकरण को अपनी योजना की सेवाओं यथा सीवर नाला आदि की कनेक्टिविटी एवं आवंटित भूखण्डों का कब्जा देने हेतु उक्त भूमि की नितान्त आवश्यकता है अतः इन पट्टेदारों की पुनर्वासित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित है कि :–

1. पट्टेदारों को योजना में ही अन्यत्र निःशुल्क भूखण्ड आवंटित कर पुनर्वासित किए जाने की स्वीकृति।

2. प्राधिकरण व्यय पर विस्थापितों के भूखण्डों के निबन्धन की स्वीकृति।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

(आर० के० गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता जोन-10

विवेक पाण्डेय
संयुक्त [illegible]

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

विषय : शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्राधिकरण की अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यो का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के अनुसार विभागीय पद्धति पर कराने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं में विभिन्न निर्माण/विकास कार्य कराया जाना होता है। इन परियोजनाओं का अनुश्रवण शासन द्वारा नियमित रूप से किया जाता है एवं उन्हें उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण करने का लक्ष्य होता है। इन कार्यो के लिए निविदा आदि की कार्यवाही करने में डेढ से दो माह का समय लग जाता है एवं कार्य अवधि में कभी–कभी ठेकेदार से विवाद आदि होने पर परियोजनाएं विलम्बित होती है। एक बार ठेकेदार से विवाद उत्पन्न होने पर ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस देने एवं उनके अनुबन्ध को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने में काफी समय लगता है। ऐसी परियोजनाओं में प्रायः शासन द्वारा अनुदान आदि के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। अतः उन्हें समय से पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। यह उल्लेखनीय है कि शासन से वरीयता प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में टाइम एवं कास्ट–ओवर–रन पर शासन द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। टाइम एवं कास्ट–ओवर–रन को बचाने के लिए उचित प्रतीत होता है कि आवश्यकतानुसार इन परियोजनाओं का कार्य विभागीय पद्धति पर कार्य सम्पादित कराये जाये।

2. उपरोक्त के साथ–साथ प्रायः प्राधिकरण के सम्मुख कुछ ऐसे निर्माण/विकास कार्य भी होते है, जिन्हें तात्कालिकता पर कराने की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यो को निविदा आदि के माध्यम से कराने में, जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर में उल्लेख किया गया है, समय लगता है।

3. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा विभिन्न निर्माण/विकास कार्यो को विभागीय पद्धति से कराने हेतु मैनुअल लागू किया गया है। प्रदेश के कई विभागों जैसे–कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम) उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ग्लोबल सेल के साथ–साथ प्रदेश के बाहर के कुछ विभागों द्वारा भी निर्माण निगम के मैनुअल को अंगीकृत किया गया है। अतः प्राधिकरण में भी उपरोक्त श्रेणी के कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल को अंगीकृत करने एवं इसके अनुसार विभागीय पद्धति पर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव :

उपरोक्त के दृष्टिगत शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं एवं प्राधिकरण की तात्कालिक प्रकृति के कार्यो के सम्पादन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम मैनुअल को लागू करने एवं उसमें निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर कार्य कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
2/5/15

(महेन्द्र प्रसाद)
वित्त नियंत्रक
ल० वि० प्रा०

संख्या–3492/8–3–2007–35एल.यू.सी./07

उपाध्यक्ष कार्यालय
लखनऊ विकास प्राधिकरण
क्रमांक संख्या 14821
दिनांक 21/8/07

3267/S
21/8/07

प्रेषक,

गोहिन्दर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपायक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2007

विषयः राजाजीपुरम् कालीदास मार्ग तक जी.एच.कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन व भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–35/वी.सी./सी.टी.पी./2007 दिनांक 16.8.2007 का कृपया संदर्भ गहण करें।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निंदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया हैः–

"लखनऊ महायोजना–2021 में राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक जी.एच.कैनाल पर प्रस्तावित 60 मी. सड़क की चौड़ाई को 30 मीटर (कैनाल के दांयी ओर) किए जाने तथा कैनाल के दूसरी ओर (कैनाल के बांयी ओर) अवशेष 30 मी. चौडी पट्टी का भू–उपयोग कालीदास मार्ग से सदर कासिंग तक आवासीय, सदर कासिंग से मवैया तक वाणिज्यिक तथा मवैया से राजाजीपुरम् तक आवासीय में परिवर्तित किया जाय।"

3– लखनऊ महायोजना–2021 में प्रस्तावित एवं वर्तमान भू–उपयोगों के सम्बंध में सूचना का आलेख्य संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कृपया संलग्न सूचना स्थानीय पढ़े जाने वाले किन्हीं दो लोक महत्व के समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें तथा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर अपनी आख्या/संस्तुति समाचार पत्रों की कतरनों के साथ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस मद में होने वाला व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा।

4– भूमि का स्वामित्व शासन में निहित होने एवं जन हित में होने के कारण प्रश्नगत भू–उपयोग परिवर्तन में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क की देयता नहीं बनती है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(गोहिन्दर सिंह)
प्रमुख सचिव।

उपाध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

Shukla-G.O.-07(654)

FROM :Pr Sect Housing FAX NO. :05222237210 Aug. 20 2007 11:12AM P1

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–3492(1)/8–3–2007–35एल.यू.सी./ 2007
लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2007

<u>सूचना</u>

चूंकि राज्य सरकार लखनऊ की महायोजना में निम्नवत संशोधन करना चाहती है:–

"लखनऊ महायोजना–2021 में राजाजीपुरम् से कालीदास मार्ग तक जी.एच.कैनाल पर प्रस्तावित 60 मी. सड़क की चौड़ाई को 30 मीटर (कैनाल के दांयी ओर) किए जाने तथा कैनाल के दूसरी ओर (कैनाल के बांयी ओर) अवशेष 30 मी. चौडी पट्टी का भू–उपयोग कालीदास मार्ग से सदर क्रासिंग तक आवासीय, सदर क्रासिंग से मवैया तक वाणिज्यिक तथा मवैया से राजाजीपुरम् तक आवासीय में परिवर्तित किया जाय।"

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11 सन् 1973) की धारा–13 की उपधारा–(3)के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना जनता से प्रस्तावित संशोधनों के सम्बंध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से प्रकाशित की जाती है। सभी आपत्तियां एवं सुझाव, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को संबोधित और लिखित रूप से 03 प्रतियों में प्रेषित किए जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर प्राप्त होंगे। निहित भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बंधित मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के नियोजन विभाग के कार्यालय में किसी कार्यदिवस में देखा जा सकता है।

(मोहिन्दर सिंह)
प्रमुख सचिव।

Shukla-G.O.-07(655)

विषय संख्या -3

<u>प्राधिकरण के अभियन्ताओ व अन्य अधिकारियो/कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

प्राधिकरण में उपभोक्ताओ की समस्याओ के त्वरित निदान के लिए अवर अभियन्ताओ / सहायक अभियन्ताओ / अधिशासी अभियन्ताओ / सम्पत्ति अधिकारी / उपसचिव / अनुसचिव व मुख्य अभियन्ता / मुख्य नगर नियोजक / उपनगर आयुक्त /वित्त नियंत्रक व ऐसे अधिकारी जिनका फील्ड में आवागमन होता है, उन्हें मोबाइल सिम कार्ड दिया गया है। प्रथम श्रेणी के अधिकारी को रू0-1000.00, द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु रू0-750.00 प्रतिमाह एवं अवर अभियन्ताओ तथा अन्य के लिए रू0-500.00 प्रतिमाह की काल निर्धारित की गयी है। यह सुविधा देने से विभिन्न अधिकारियों से लगातार ट्रैक किया जा पा रहा है एवं अधिकारियों की क्षमता में सुधार हुआ है।

विषय संख्या -4

<u>लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्रिया कलापो को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं इस हेतु टर्न की बेसिस पर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।</u>

वर्ष 1995 में सी0एम0सी0 लि0 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए साफ्टवेयर विकसित किया गया था, परन्तु पूर्व में आई0टी0 एक्ट, यूनीकोड तथा सिक्योरिटी हेतु सुदृढ़ तकनीकें न होने के कारण वह पूरी तरह से लागू नहीं हो सका। प्राधिकरण का कार्य वर्ष 1995 की तुलना में कई गुना बढ़ गया है। अधिक से अधिक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वतन्त्र रूप से अपना साफ्टवेयर विकसित कराया जाना है। साफ्टवेयर विकसित कराने एवं हार्डवेयर का कार्य खुली निविदा के माध्यम से आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार किया जाएगा।

विषय संख्या -5

<u>राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध मे।</u>

राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक लगभग 10 किमी0 लम्बी जी0एच0 कैनाल पर सड़क बनाने का प्रस्ताव है। यह परियोजना लगभग 20 साल पुरानी है परन्तु कैनाल के दोनो ओर हजारो की संख्या में अनाधिकृत निर्माण होने के कारण क्रियान्वित नहीं हो सकी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका श्री बी0के0 सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य में जी0एच0 कैनाल पर सड़क बनाकर यातायात को सुगम करने के आदेश दिये गये है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में यह परियोजना प्रारम्भ की जा रही है।

परियोजना का क्रियान्वयन निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाना प्रस्तावित है। चूंकि यह परियोजना 20 साल से प्रारम्भ नहीं हो पायी है एवं कैनाल के दोनो ओर काफी संख्या में अनाधिकृत निर्माण है। अतः निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के उद्देश्य से लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग के अप स्ट्रीम में लगभग 350 मीटर लम्बाई में नाले को कवर करके सड़क निर्माण किया जाएगा। इस पर लगभग 15 करोड का व्यय होना सम्भावित है एवं यह पूरी परियोजना के लिए निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए 'कैटलिस्ट' का कार्य करेगा।

विषय संख्या -6

<u>राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक जी0एच0 कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन व भू उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे।</u>

राजाजीपुरम से कालीदास मार्ग तक लगभग 10 किमी0 की लम्बाई पर जी0एच0 कैनाल की चौडाई, लखनऊ महायोजना में 60 मी0 है। इस कैनाल के दोनो ओर हजारो की संख्या में अनाधिकृत निर्माण है। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से लगभग 250 मी0 लम्बाई में अनाधिकृत निर्माण को हटाया गया है, जिसमें 177 परिवारो को पुनर्वासित करना पड़ा है। इसके उपरान्त भी अधिकतम 40 मीटर चौड़ाई में ही भूमि उपलब्ध हो पायी है। यदि पूरी 10 किमी0 लम्बाई में अतिक्रमण हटाया जाएगा तो 10 से 15 हजार परिवारो को पुनर्वासित करना होगा, जो कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अत्यन्त कठिन होगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए कैनाल की चौडाई 60 मीटर से घटाकर 30 मीटर किया जाएगा। शेष 30 मीटर चौडाई में आवासीय एवं कामर्शिलय उपयोग अनुमन्य किया जाएगा, जिससे निजी क्षेत्र इस आवासीय एवं कामर्शिलय उपयोग की भूमि के निस्तारण से सड़क निर्माण के लिए धनराशि जुटा सकेगा।

यह प्रस्ताव शासन को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अन्तर्गत अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा।

विषय संख्या -7

<u>श्री राम पाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक के पुत्र के इलाज के लिए पूर्व में दिये गये अग्रिम भुगतान का समायोजन एवं अवशेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध मे।</u>

श्री रामपाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक को उनके पुत्र की सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण पूर्व में 4,37,500.00 का अग्रिम दिया गया था। इनके इलाज पर कुल रू0-8,17,044.00 व्यय हुआ है। अतः पूर्व में दिये गये धनराशि का समयोजन करने के उपरान्त अवशेष रू0-3,79,544.00 का भुगतान इन्हें किया जाना है।

विषय संख्या -8

<u>हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टीलेविल पार्किग काम्पलेक्स का निर्माण।</u>

शासन द्वारा हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, पुलिस अधीक्षक, नगर पूर्वी, क्षेत्राधिकारी, हजरतगंज व फायर ब्रिगेड के कार्यालयो को बाल्मीकि मार्ग स्थित महानिदेशक कारागार के कार्यालय एवं आवासीय भवन में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है तथा महानिदेशक कारागार के कार्यालय को पिकप भवन में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्यालय में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है। हजरतगंज कोतवाली के स्थल पर मल्टीलेविल पार्किंग विकसित किया जाना है, जिससे हजरतगंज क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का निदान हो सकेगा।

लखनऊ नगर में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओ की कन्सलटेन्सी शासन द्वारा आई0डी0एफ0सी0 को सौपा गया है। आई0डी0एफ0सी0 से कहा जा रहा है कि वे हजरतगंज कोतवाली स्थल पर प्रस्तावित पार्किंग, जनपथ मार्केट के सामने मल्टीलेविल पार्किंग की परियोजना पर तत्काल कार्य प्रारम्भ कर दे एवं एक माह में स्टडी रिपोर्ट उपलब्ध कराये। आई0डी0एफ0सी0 की रिपोर्ट के उपरान्त यह पार्किंग निजी क्षेत्र की सहभागिता से क्रियान्वित करायी जाएगी। हजरतगंज कोतवाली की पार्किंग में लगभग 700 कार तथा जनपथ में लगभग 238 कार पार्किंग उपलब्ध हो सकेगा।

विषय संख्या -9

<u>दिनांक 13.08.07 को बोर्ड बैठक में गोमती नगर विस्तार के विद्युतीकरण हेतु पुनरीक्षित बजट के सम्बन्ध में।</u>

गोमती नगर विस्तार योजना में 1200 एकड़ भूमि का अर्जन वर्ष 2001 में किया गया था तथा वर्ष 2004-05 में लगभग 4000 भूखण्डो का आवंटन प्राधिकरण द्वारा किया गया । इस योजना में सिविल का कार्य जैसे-सड़क, नाली, सीवर हुआ है किन्तु विद्युतीकरण का कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ । विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण न होन के कारण आवंटियों को कब्जा नहीं दिया जा पा रहा है, जबकि आवंटियो द्वारा धनरशि जमा की जा चुकी है। इस योजना के 4 खण्डो में भूखण्ड निकाले गये है। अतः चारो खण्डो में अलग-अलग विद्युतीकरण का कार्य कराने हेतु निविदा मांगी गयी है। इस कार्य पर कुल रू0-8068.82 लाख व्यय अनुमानित है। 2007-08 के बजट में इस कार्य के लिए 10 करोड का प्राविधान किया गया था। अतः रू0-60.00 करोड का अतिरिक्त प्राविधान बजट में किया जा रहा है।

विषय संख्या -10

<u>लखनऊ की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओ के अध्ययन, फिजिबिलिटी स्टडी आदि के लिए कन्सल्टेन्ट आबद्ध करने के सम्बन्ध मे।</u>

लखनऊ नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटर रिंग रोड तथा आरटरीज, रिंग रेलवे/मैट्रो, वैकल्पिक पार्किंग स्थलो का विकास, आर0ओ0बी0, फ्लाई ओवर, सब-वे, सरफेस मैट्रो आदि परियोजना को चयनित करके सूचीबद्ध किया गया है। इन परियोजनाओ को निजी क्षेत्र की सहभागिता से क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। शासन द्वारा

लखनऊ तथा कानपुर नगर में अवस्थापना कार्यो के लिए कन्सल्टेन्ट के रूप में आई0डी0एफ0सी0 को नियुक्त किया गया है। अत: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चयनित परियोजनाओ की कन्सल्टेन्सी आई0डी0एफ0सी0 से कराने के उपरान्त इन्हें निजी क्षेत्र की सहभागिता से क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है।

विषय संख्या -11

जानकीपुरम विस्तार योजनान्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित 23 पट्टेदारो की भूमि का समायोजन कर आवंटित भूमि के बदले आवासीय भूमि दिये जाने के सम्बन्ध मे।

जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत सेक्टर-8 में 30 मीटर चौड़ी सड़क पर ग्राम समाज की भूमि का आवासीय पट्टा वहां के गरीब किसानो को नि:शुल्क दिया गया था। उक्त भूमि, योजना के 30 मीटर चौड़ी सड़क की एक साइड में जैसे-नाली, सड़क, सीवर को बाधित कर रही है। पट्टा धारको के कब्जे की भूमि पर प्राधिकरण के उक्त 12 भूखण्ड जो पूर्व में विभिन्न आंवटियो को आवंटित किये गये है, जिनका निबन्धन आवंटियों के पक्ष में प्राधिकरण नहीं कर पा रहा है। अत: इस भूमि के बदले लाभार्थियो को अन्यत्र नि:शुल्क भूखण्ड उसी योजना में 23 छोटे-छोटे भूखण्ड जो लगभग 75 वर्गमीटर के है, को आवंटित कर पुर्नवासित किया जाना एवं प्राधिकरण व्यय पर विस्थापितो के भूखण्डो के निबन्धन का खर्च प्राधिकरण के खर्चे पर किया जाना है।

विषय संख्या -12

शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्राधिकरण की अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यो का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के अनुसार विभागीय पद्धति पर कराने के सम्बन्ध मे।

प्राधिकरण द्वारा प्राय: शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओ में विभिन्न निर्माण/विकास कार्यो को समयबद्ध रूप से कराना होता है। इन कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित करने एवं कार्य प्रारम्भ करने में डेढ से दो माह का समय लग जाता हैं एवं कार्य की अवधि में यदि ठेकेदार द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है तो विवाद के निस्तारण एवं पुन: निविदा मांगने में भी उतना ही समय लगता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के सम्मुख कुछ ऐसे निर्माण/विकास कार्य होते है, जिन्हें तात्कालिकता पर कराने की आवश्यकता होती है। इन कार्यो को यदि निविदा के माध्यम से कराना होता हैं तो अधिक समय लगता है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा विभिन्न निर्माण/विकास कार्यो को विभागीय पद्धति से कराने हेतु मैनुवल लागू किया गया है। यह मैनुवल प्रदेश के कई विभागो एवं प्रदेश के बाहर विभागो में भी लागू है। प्राधिकरण में भी शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओ एवं तात्कालिक प्रकृति के कार्यो को समयबद्ध रूप से कराने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुवल को अंगीकृत किया जाना है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक

दिनांक 13 अगस्त, 2007

में विचारणीय विषयों की

अनुपूरक-कार्यसूची

विषय सं० 1 अनुपूरक प्रस्ताव

विषय : नगरीय निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु लक्ष्य निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 3190/आठ-1-07-38बैठक/07, दिनांक 28.6.07 के अनुसार वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं के अनुक्रम में जनमानस को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें शहरी विकास की महत्ता को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के 11450 भूखण्डों/भवनों के विकास व निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 4000 दुर्बल आयवर्ग एवं 3500 अल्प आयवर्ग के भवन/भूखण्ड सम्मिलित हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु नगरीय निर्बल वर्ग के लिए हरदोई रोड, शारदानगर व कानपुर रोड योजना में निर्माण प्रस्तावित किया गया है।

वर्ष 2003 में डूडा द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्र में कुल 530 मलिन बस्तियां चिन्हित की गई थीं, जिसमें लगभग 6.72 लाख की जनसंख्या निवास कर रही है। शहरी विकास के अन्तर्गत इन्हें अच्छे वातावरण में विस्थापित कर मूलभूत सुविधाएं यथा सस्ते आवास, पेयजल व सीवरेज, पार्क आदि उपलब्ध कराया जाना है।

नगरीय क्षेत्र में समस्त मूलभूत सुविधाओं-युक्त भवनों के निर्माण हेतु क्षेत्रों का चयन इस प्रकार किया गया है कि विस्थापितों/आवंटियों को अपने कार्यक्षेत्र से अधिक दूरी तय न करनी पड़ी व अवस्थापना की समस्त सुविधाएं विद्यमान हों। तत्क्रम में प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना में एच व पी ब्लाक तथा शारदा नगर योजना में राधा खण्ड व रश्मि खण्ड की भूमि इस प्रयोग हेतु चिन्हित की गई है, जिसका क्षेत्रफल निम्नवत् है :-

1. राधा खण्ड योजना, शारदा नगर - 33.85 एकड़
2. रश्मि खण्ड योजना, शारदा नगर - 1.48 एकड़
3. हरदोई रोड एच-ब्लाक - 12.60 एकड़
4. हरदोई रोड पी-ब्लाक - 9.24 एकड़

योग - 57.17 एकड़

उक्त भू-भाग पर भवनों का नियोजन भारत सरकार द्वारा गठित जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना, जिसका लक्ष्य शहरी गरीबों को मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, के मानकों के अनुसार किया

गया है। अभी तक चिन्हित किये गये 04 स्थलों में कुल 57.17 एकड़ भूमि पर नियोजन किया जा चुका है। भूखण्ड का साइज 16 भवनों के लिए एक ब्लाक के निमित्त 180 वर्गमीटर रखा गया है, जिसमें एक रिहायशी यूनिट का क्षेत्रफल 33.60 वर्गमी0 है। इस रिहायशी यूनिट में 2 कमरों का निर्माण, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 10.74 वर्गमी0 8.6 वर्गमी0 नियोजित है। कमरों के साथ-साथ 4.25 वर्गमीटर का रसोईघर तथा 2.40 वर्गमी0 का ट्वायलेट/बाथर म का प्राविधान किया गया है।

भवनों का निर्माण आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसमें भूकम्परोधी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है। मूलभूत सुविधाओं में प्रत्येक यूनिट हेतु सीवर कनेक्शन, वाटर सप्लाई, स्टार्म वाटर ड्रेन आदि का प्राविधान है। अवस्थापना सुविधाओं में बिटुमिनस टॉप/सी.सी. रोड व स्ट्रीट लाइट प्रत्येक 30 मी0 की दूरी पर, सामुदायिक सुविधाएं, प्राइमरी एजुकेशन की सुविधा, पार्क/प्ले ग्राउण्ड का भी प्राविधान किया गया है। उपरोक्त चारों स्थलों पर कुल 7040 भवनों का नियोजन किया जा चुका है, जिसकी कुल परियोजना लागत आई.ई.सी., डी.पी.आर. प्रिपेरेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट एवं कान्टिन्जेंसी सहित रू0 196.00 करोड़ आंकलित है।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना के अंतर्गत वित्त पोषण में 50 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा, 20 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा तथा 30 प्रतिशत धनराशि अभिकरण द्वारा वहन किया जाना है।

अतः निर्बल वर्ग आवासीय योजना/पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्राधिकरण के हरदोई रोड योजना के पी तथा एच-ब्लाक में तथा शारदा नगर योजना के रश्मि व राधा खण्ड की 57.17 एकड़ भूमि पर 7040 भवनों का निर्माण जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन योजनान्तर्गत वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार को योजना प्रेषित किए जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

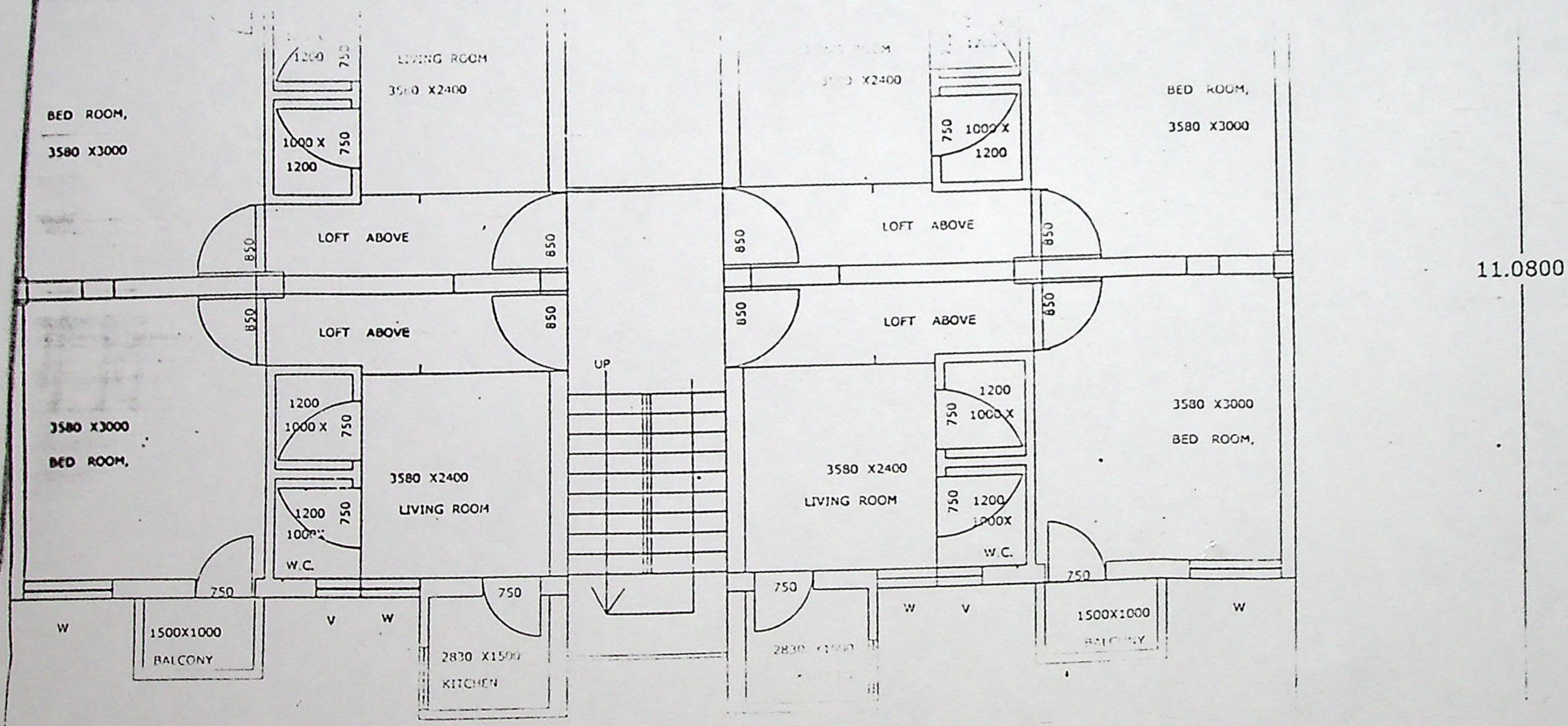
BED ROOM,
3580 X3000
LIVING ROOM
3580 X2400
1200
750
1000 X
1200
LOFT ABOVE
850
UP
W.C.
W
V
1500X1000
BALCONY
2830 X1500
KITCHEN
11.0800

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2007 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री विजय शंकर पाण्डेय	आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री हरभजन सिंह	उपाध्यक्ष,लखनऊ विकास प्राधिकरण
3.	श्री चन्द्र भानु	जिलाधिकारी, लखनऊ।
4.	श्री रामबहादुर	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
6.	श्री ए0सी0 सिन्हा	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग,
8.	ई0 सूरज लाल	मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम,लखनऊ।
9.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।

अन्य उपस्थितिः

10.	श्री भूपेन्द्र सिंह	सचिव, ल.वि.प्रा.,लखनऊ।
11.	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री महेन्द्र प्रसाद	वित्त नियन्त्रक, ल.वि.प्रा.।
13..	श्री त्रिलोकी नाथ	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री रवि श्रीवास्तव	मुख्य अभियन्ता–वि0यां0, ल0वि0प्रा0

५८

अध्यक्ष महोदय के सम्बोधन एवं उपाध्यक्ष एवं सदस्यगणों के औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक प्रारम्भ हुई ।

विषय संख्या : 1 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या: 2 — लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23 फरवरी, 2007 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय: — प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं विषय संख्या–4 लखनऊ महायोजना 2021 के जोन–22 के जोनल प्लान को अनुमोदित किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा पूछे जाने पर मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 द्वारा बताया गया कि पूरे लखनऊ शहर को 22 जोन में बॉटा गया है तथा जोन–16 एवं 22 का जोनल प्लान आ चुका है इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह जानना चाहा कि इसको पूरा करने के लिए क्या समयसारिणी बनाई गई है तथा जोनवार प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं या नहीं? यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो एक सप्ताह में इसे बना लिया जाय और यदि एक कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एक से अधिक संस्थाओं को इस कार्य को दिया जा सकता है।

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 श्री एन0आर0 वर्मा द्वारा बताया गया कि जोनल प्लान के सम्बन्ध में उन्होने अपनी एक टिप्पणी दी थी जिसे प्राधिकरण के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि जोनल प्लान बनाते समय उनके सुझावों को सम्मिलित किया जा सके। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा जो जोनल प्लान उपलब्ध कराये जायें उन पर सर्वप्रथम मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की राय प्राप्त कर ली जाय तत्पश्चात् प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 3	प्राधिकरण के अभियन्ताओं व अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णयः	प्राधिकरण को सचिव,ल0वि0प्रा0 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में निर्धारित सीमा अपर्याप्त है एवं इसे बढ़ाया जाना उचित होगा । विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया कि सेलफोन के किराये की धनराशि निर्धारित सीमा के अतिरिक्त देय होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर वित्त विश्लेषण कर यह देखा जाय कि इस सुविधा के फलस्वरुप क्या लाभ हुआ ।
विषय संख्या : 4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कराने एवं इस हेतु "टर्न की बेसिस" पर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक श्री एन0आर0 वर्मा द्वारा प्राधिकरण को अवगत कराया गया कि बिड़ला साफ्ट द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है एवं कुछ प्राधिकरणों में इसे लागू किया जा चुका है। उन्होने यह भी अवगत कराया कि कानपुर विकास प्राधिकरण में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होने सुझाव दिया कि बिड़ला साफ्ट को एक अवसर प्रदान किया जाना उचित होगा एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण इसे प्रयोग के तौर पर लागू करके देख लें उसके उपरान्त निर्णय लिया जाना उचित होगा ।
	विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बिड़ला साफ्ट को एक अवसर प्रदान कर दिया जाय। यदि बिड़ला साफ्ट द्वारा एक माह में साफ्टवेयर सन्तोषजनक रुप से लागू नहीं किया जाता है तो उपाध्यक्ष दिये गये प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र रुप से साफ्टवेयर विकसित करने एवं हार्डवेयर के विकसित कराने की कार्यवाही करायें ।

२८

विषय संख्या : 5 राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या: 6 राजाजी पुरम से कालीदास मार्ग तक गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर प्रस्तावित निर्माण व विकास के नियोजन एवं भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या : 7 श्री रामपाल सिंह, वरिष्ठ लिपिक के पुत्र श्री धर्मेन्द्र सिंह की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 8 हजरतगंज कोतवाली, महिला थाना, फायर स्टेशन तथा उससे सम्बद्ध भूमि पर मल्टीलेबिल पार्किंग, काम्पलेक्स का निर्माण ।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव विचारोपरान्त स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 9 गोमती नगर विस्तार योजना के विद्युतीकरण हेतु पुनरीक्षित बजट के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या : 10 लखनऊ की विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी आदि के लिए कन्सल्टेंट आबद्ध करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया, विचारोपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी ।

विषय संख्या : 11 जानकीपुरम विस्तार योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा आवंटित 23 पट्टेदारों की भूमि का समायोजन कर आवंटित भूमि के बदले आवासीय भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

विषय संख्या : 12 शासन की वरीयता प्राप्त परियोजनाओं तथा प्राधिकरण के अन्य तात्कालिक प्रकृति के कार्यो का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल के अनुसार विभागीय पद्धति पर कराने के सम्बन्ध में

निर्णय : चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी ।

अनुपूरक विषय: नगरीय निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण ।

निर्णय : विचार–विमर्श के उपरान्त भवनों के निर्माण लागत को छोड़कर शेष प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। भवन की निर्माण लागत अधिक होने के कारण निर्देश दिये गये कि इसका पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जाय ।

अन्य विषय

1– जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं यह निर्णय लिया गया कि योजना/क्षेत्रवार एक सप्ताह में कैम्प लगाकर जनसामान्य की शिकायतों को कैम्प में ही अन्तिम रुप से निस्तारित किया जाय ताकि शिकायतकर्ता बार–बार कार्य के लिए न दौड़े। इस प्रकिया को आगामी दिनों में नियमित रुप से चलाया जाय।

2– अनधिकृत निर्माणों व अतिक्रमण के सम्बन्ध में असन्तोष व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बड़े–बड़े अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए इनका

प्रकाशन कराकर और पर्याप्त सूचना के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये ताकि इसका व्यापक प्रभाव पड़े।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक समाप्त किये जाने की घोषणा की गयी ।

(भूपेन्द्र सिंह)
सचिव

(हरभजन सिंह)
उपाध्यक्ष

<u>अनुमोदित</u>

(विजय शंकर पाण्डेय)
आयुक्त लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।